



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224589
CG-DL-E-20012021-224589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942

No. 25]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जाँच परिणाम

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

मामला सं. एडी-एसएसआर-09/2020

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "मिथाइलीन क्लोराइड" के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जाँच।

फा. सं. 7/19/2020-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहाँ "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहाँ "प्राधिकारी" भी कहा गया है) को चीन जन. गण. (जिसे यहाँ आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मिथाइलीन क्लोराइड (जिसे आगे यहाँ "संबद्ध सामान" अथवा 404 GI/2021

"विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम तथा नियमावली के तहत पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जाँच की शुरुआत के लिए अनुरोध करते हुए मैसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी एसआरएएसी लि. (पूर्व में श्री रायलसीमा अलकालीज एंड एलाइड केमिकल्स लि. के रूप में ज्ञात) तथा मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लि. (जिन्हें यहाँ आगे "आवेदक" भी कहा गया है) से एक आवेदन पत्र (जिसे यहाँ आगे "याचिका" भी कहा गया है) प्राप्त हुआ। आवेदकों अर्थात् मैसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी एसआरएएसी लि. तथा मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लि. ने आवेदन पत्र में निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई है।

2. प्राधिकारी ने दिनांक 07 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/33/2014-डीजीएडी द्वारा चीन जन. गण. और रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित मिथाइलीन क्लोराइड के आयातों के संबंध में मूल जाँच शुरू की थी। प्राधिकारी ने 30 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/33/2014-डीजीएडी द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्राथमिक जाँच परिणाम अधिसूचित किए। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम चीन जन. गण. और रूस के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या 14/33/2014-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क राजस्व विभाग द्वारा 31 मई, 2016 की अधिसूचना संख्या 21/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए थे।

3. अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"

4. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा और उसके ओर से किए गए विधिवत शीघ्र अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

5. आवेदकों ने पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए और चीन जन. गण. से मिथाइलीन क्लोराइड के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जाँच जारी रखने की मांग करते हुए संयुक्त रूप से एक आवेदन पत्र दायर किया। यह अनुरोध इस आधार पर था कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना होगी।

6. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जाँच करने के लिए कि उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से क्या घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, निर्णायक समीक्षा जाँच करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/19/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना शुरू की।

7. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने चीन जन. गण. के संबंध में दिनांक 1 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 42/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा 31 जनवरी, 2021 तक पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिए।

8. आवेदकों ने रूस से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने की मांग यह उल्लेख करते हुए नहीं की है कि रूस से वर्तमान में कोई निर्यात नहीं हैं और रूस से पाटन एवं क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है।

ख. प्रक्रिया

9. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में 30 मार्च, 2016 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/33/2014-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल हैं जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी।

10. जाँच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (i) प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 7/19/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।
- (ii) प्राधिकारी द्वारा नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार संबद्ध जाँच की शुरुआत के संबंध में 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध सामानों के सभी ज्ञात निर्यातकों, भारत में संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उस देश की सरकार और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई।
- (iii) प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को उसके दूतावास के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार लिखित में अनुरोध किया था, को आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और जहां अनुरोध किया गया था, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- (iv) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गई थी।
- (v) प्राधिकारी ने संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी जाँच शुरू किए जाने की दिनांक 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना की प्रति भेजी और जाँच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा अथवा बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्रश्नावली का उत्तर दायर करने और नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने के लिए उन्हें एक अवसर प्रदान किया। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां इस अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थीं कि वे संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर देने की सलाह दें।
- (vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर हितबद्ध पक्षकारों को उनका उत्तर दायर करने तथा अनुरोध करने के लिए समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 के पत्र द्वारा समय 12 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया था।
- (vii) प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अधिसूचना की प्रति भेजी:

- क. एरो केमिकल ग्रुप कारपो.;
- ख. डालियान रिचफॉर्च्यून केमिकल कंपनी;
- ग. डोंगयिंग जिनहाओ इंटरनेशनल ट्रेड कं. लिमिटेड;
- घ. जीसीई केमिकल केम. (क्रिगदाओ) कं. लिमिटेड;
- ङ. गोल्डन क्रेडिट इंडस्ट्रियल लिमिटेड;
- च. गुआंगझोऊ जी यी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड;
- छ. गुआंगझोऊ जिनहाओ केमिकल कं. लिमिटेड;

- ज. हांगझोऊ शेंगताई केमिकल कंपनी;
- झ. जियांग्सु मीलियन केमिकल कं. लिमिटेड;
- ञ. निंगबो जुहुआ केमिकल्स एंड साइंस कं लिमिटेड;
- ट. पॉलिमेट कमोडिटीज लिमिटेड;
- ठ. क्रिंगदाओ लाशेंग कं. लिमिटेड;
- ड. शेडोंग डोंग्यु ग्रिप-सिलिकॉन मैटेरियल कं लिमिटेड;
- ढ. शेडोंग जिनहाओ ट्रेडिंग कं लिमिटेड;
- ण. शीज़ीयाज़ूआंग सैया केमिकल कं. लिमिटेड;
- त. टियांजिन युआनलॉग केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड;
- थ. झेजियांग जुहुआ कं. लिमिटेड;
- द. झोंगताई केमिकल कं. लिमिटेड;
- ध. जिवो बनैसी केमिकल कं. लिमिटेड;
- न. जिवो नेचर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं. लिमिटेड;
- प. जोर्पिंग चांगशान जेफेंग फर्टीलाइजर कं. लिमिटेड
- (viii) संबद्ध जाँच की शुरूआत के उत्तर में, निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए:
- क. शानडोंग डोंगी फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कं. लि.
- ख. निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं लि.
- (ix) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को अधिसूचना की प्रति भेजी:
- क. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड;
- ख. कोवालेंट लैबोरेटरीज लिमिटेड;
- ग. डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड;
- घ. हर्ष कुमार एंड कंपनी;
- ङ. हेटेरो लैब्स लिमिटेड;
- च. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड;
- छ. वर्धमान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन;
- ज. एलेम्बिक लिमिटेड;
- झ. हिंदुस्तान केमिकल्स इंडस्ट्रीज;
- ञ. इंडसोल ड्रग्स लिमिटेड;
- ट. केडीएल बायोटेक लिमिटेड;
- ठ. मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड;
- ड. मोरपाइन एलएबीएस;
- ढ. रेल्स इंडिया लिमिटेड;

- ण. राल्चम लिमिटेड;
 त. सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज;
 थ. सूर्या मेडिकेयर लिमिटेड;
 द. यूनाइटेड फॉस्फोरस लि.
- (x) उपर्युक्त के उत्तर में, निम्नलिखित आयातक और एसोसिएशन ने कानूनी अनुरोध दायर किए:
 क. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड;
 ख. एसोसिएशन ऑफ क्लोरोमेथानस मैनुफैक्चरर्स
- (xi) निम्नलिखित पक्षकारों ने जाँच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में समर्थकों के रूप में पंजीकरण कराया है:
 क. गुजरात अलकालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड;
 ख. मेघमणि फिनोकेम लि.;
 ग. एसआरएफ लिमिटेड
- (xii) वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (12 माह) और क्षति जाँच अवधि 2016-17, 2017-18 और 2018-19 तथा जाँच की अवधि है।
- (xiii) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) और प्रणाली महानिदेशालय तथा आंकड़ा प्रबंधन (डीजीएस) से जाँच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए लेन-देन वार आयात आंकड़े प्राप्त किए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य का परिकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजीएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (xiv) इसके अतिरिक्त, आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था।
- (xv) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
- (xvi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निकालने के लिए नियामवली के अनुबंध-3 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर संभावित सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जाँच की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xvii) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 11 सितंबर, 2020 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दें।
- (xviii) जाँच प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर वर्तमान जाँच में संगत माने गए और साक्ष्यों से समर्थित होने की सीमा तक उपयुक्त रूप से इस अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- (xix) इस जाँच प्रक्रिया के दौरान, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की परिशुद्धता से उस संभावित सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया जो इस अंतिम जाँच परिणाम का आधार बनती है और संगत, व्यावहारिक एवं आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।

- (xx) नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के रूप में अपने जाँच_परिणाम का आधार बनने वाले मामले के अनिवार्य तथ्य 11 जनवरी 2021 को प्रकट किए और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 18 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत सीमा तक प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और उन्हें इस जाँच परिणाम में हल किया गया है।
- (xxi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जाँच की गई थी। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहाँ कहीं भी संभव हुआ है, वहाँ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- (xxii) जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं अथवा इस जाँच में संगत सूचना नहीं दी है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है। जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जाँच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जाँच में काफी बाधा डाली है, वहाँ प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जाँच परिणाम रिकार्ड किए हैं।
- (xxiii) *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- (xxiv) जाँच की अवधि के दौरान विद्यमान 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रुपए की दर प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) तथा समान वस्तु का क्षेत्र

ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद वही है, जो मूल जाँच में है अर्थात् "मिथाइलीन क्लोराइड" है जिसे डाई-क्लोरोमेथेन अथवा मिथाइल डाई-क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29031200 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है।
- (ii) वर्तमान आवेदन पत्र पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाए जाने के लिए निर्णायक समीक्षा जाँच के लिए है। समान वस्तु के मुद्दे की जाँच प्राधिकारी द्वारा मूल जाँच में भी की गई है। अतः संबद्ध देश से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की समान वस्तु है।
- (iii) संबद्ध सामानों का प्रयोग पॉलीकार्बोनेट और फेनोलिक रेसिन के विनिर्माण; रेयन यार्न के विनिर्माण; फार्मास्युटिकल्स, एग्रो एंड फ्रेगरेन्सेस; सहित रासायनिक उद्योगों में सामान्य प्रयोजन के लिए सॉल्वेंट; एडिबल फैट के लिए एक्सट्रेक्टेंट, कोका, बटर और एसेंसेस के विनिर्माण के लिए; एरोसोल प्रोपेलेंट और रेफ्रीजेंट; फायर फ्राइटनिंग एजेंट; केमिकल रिएक्शन मीडिया; पेंट एंड ग्रीस रिमूविंग एजेंट में किया जाता है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) जीएफएल 99.5 प्रतिशत का विनिर्माण करता है। एसआरएफ और जीएसीएल 99.9 प्रतिशत का विनिर्माण करता है और चीन 99.2, 99.5 और 99.9 प्रतिशत का विनिर्माण करता है। प्रयोग और कीमत शुद्धता के अनुसार अलग-अलग हैं। कम परिशुद्धता कृषि एवं उर्वरकों में जाती है।

- (ii) एमडीसी बल्क और ड्रम वाली पैकिंग में आती है। कीमत पैकिंग के अनुसार अलग-अलग है। ड्रम पैकिंग में आयात नगण्य हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

13. इस जाँच में विचाराधीन उत्पाद मिथाइलीन क्लोराइड है जिसे डाईक्लोरोमेथेन अथवा मिथाइल डाईक्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है। मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में है:

"मिथाइल क्लोराइड मॉल्युलर फॉर्मूला CH_2Cl_2 से युक्त एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह ईथर जैसी गंध से युक्त रंगहीन द्रव है और पूर्व प्रभावी रूप से सॉल्वेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रयोग की सबसे अधिक स्थितियों में अनिवार्य रूप से गैर-ज्वलनशील होता है, परंतु यदि सख्ती से गर्म किया जाए तो जल सकता है। मिथाइल क्लोराइड टॉक्सिक गैसों बनाते समय उच्च तापमान पर समाप्त हो सकता है। यह कई सॉल्वेंटों के साथ पूर्ण रूप से मिश्रण योग्य है। एमडीसी एक सॉल्वेंट है और इसका प्रयोग पॉलीकार्बोनेट और फेनोलिक रेसिन; रेयन यार्न; फार्मास्युटिकल्स, एग्रो एंड फ्रेगरेन्सेस के विनिर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग एडिबल फैट, कोका, बटर और एसेंसेस के लिए एक्स्ट्रेक्ट के रूप में भी किया जाता है। मिथाइलीन क्लोराइड के उत्पादन के लिए दो प्रौद्योगिकियां हैं – मेथेन रूट और मेथानॉल रूट। इन दोनों रूटों के माध्यम से उत्पादित उत्पाद में अनिवार्य रूप से समान तकनीकी विशिष्टियां हैं। मिथाइलीन क्लोराइड सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29031200 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

14. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है, अतः विचाराधीन उत्पाद वही है जो पूर्व में की गई जाँच में परिभाषित है।

15. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में काफी अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद तकनीकी विशिष्टियों, उनके समान अंतिम प्रयोग, उनकी तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता और प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं।

16. प्राधिकारी ने मूल जाँच में माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किया जा रहा उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु है। वर्तमान आवेदन पत्र मूल शुल्क बढ़ाए जाने की समीक्षा के लिए है और चूंकि वर्तमान तथा मूल जाँच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान है, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान "समान वस्तु" हैं।

17. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि आवेदक 99.5 प्रतिशत परिशुद्धता के संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं करते। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा 99.9 प्रतिशत और उससे अधिक की शुद्धता वाले संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री की जाती है। इसके अतिरिक्त, शुद्धता स्तर उत्पादों को भिन्न नहीं करता। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना नहीं दी है कि उत्पाद की शुद्धता के संदर्भ में कीमत में काफी अंतर नहीं आता है। संबद्ध सामानों के संबंध में विगत में भी जांचें हुई हैं और प्राधिकारी ने शुद्धता के संदर्भ में उत्पादों में अंतर नहीं किया।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) आवेदकों का भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबद्ध हैं और न संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबद्ध हैं। आवेदकों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात भी नहीं किया है। अतः आवेदक आधार की अपेक्षा पूरी करते हैं और नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग हैं।
- (ii) अन्य भारतीय उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े बाजार आसूचना पर आधारित हैं। आवेदकों की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार अन्य उत्पादकों के उत्पादन आंकड़े प्रतिनिधि कारक हैं और वास्तविक आंकड़ों में

कोई विचलन वस्तुतः यह प्रकट करेगा कि उनका वास्तविक उत्पादन कम है क्योंकि आवेदकों ने रूढ़िवादी अनुमानों पर विचार किया है।

- (iii) भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन अन्य उत्पादक अर्थात् गुजरात अलकालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, एसआरएफ लि. और मेघमणि हैं जिनका जाँच की अवधि के दौरान बाजार आसूचना के आधार पर अनुमानित उत्पादन 1,05,314 मी. टन (कुल भारतीय उत्पादन का 50.95 प्रतिशत) है।
- (iv) "घरेलू उद्योग" स्तर निर्धारित करने के लिए घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात निर्धारित करने के लिए लागू 50 प्रतिशत से अधिक का कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं है। जिन घरेलू उत्पादकों ने 49 प्रतिशत हिस्से के लिए आवेदन पत्र दायर किया है, उनका भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक कंपनियों ने क्षति तथा उसकी संभावना से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

19. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) अधिकतर घरेलू उत्पादकों (51 प्रतिशत हिस्सा) ने क्षति अथवा उसकी संभावना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। सूचना केवल 49 प्रतिशत हिस्से वाले घरेलू उत्पादकों के लिए दी गई है। ऐसी सूचना न देने से उपयुक्त निष्कर्ष नहीं निकलेगा और इससे वर्तमान जाँच रद्द होगी।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र मैसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी एसआरएएसी लि. (पूर्व में श्री रायलसीमा अलकालीज एंड एलाइड केमिकल्स लि. के रूप में ज्ञात) तथा मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों ने उल्लेख किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध हैं अथवा न ही भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। मैसर्स एसआरएफ लि., मैसर्स गुजरात अलकालीज एंड केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स मेघमणि फिनकेम लि. ने आवेदन पत्र का समर्थन करते हुए अलग से पत्र दायर किए हैं। प्राधिकारी ने इन कंपनियों से निर्धारित सूचना मांगी थी, तथापि वह सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा जाता है कि आवेदकों द्वारा उत्पादन भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात बनता है।

22. उपर्युक्त को मद्देनजर और उपयुक्त जाँच के बाद प्राधिकार मानते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

23. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तर अपूर्ण हैं। संबद्ध सामानों के उत्पादन और बिक्री में लगी संबद्ध कंपनियों ने उत्तर नहीं दिया है और उत्तर रद्द के जाने योग्य हैं।
- (ii) निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर-II में अधिकतर प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं।

- (iii) तृतीय देश संबंधी सूचना यह उल्लेख करते हुए नहीं दी गई है कि एमईटी का दावा नहीं किया गया है और इस प्रकार वह सूचना संगत नहीं है।
- (iv) डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े गोपनीय आंकड़े हैं और इसीलिए परिचालित नहीं किए जा सकते। हितबद्ध पक्षकार यदि वे चाहें तो डीजीसीआईएंडएस से लेन-देन वार आंकड़े प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (v) निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि. ने संबद्ध पक्षकार के लिए प्रश्नावली का उत्तर तथा पाटन एवं क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए संगत अन्य सूचना दायर नहीं की है।
- (vi) शानडोंग डोंगू फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कंपनी द्वारा दायर उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। निर्यातकों ने देश के कुल क्षमता स्तर, मांग आदि गोपनीय होने का दावा किया है।
- (vii) निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि., जुहुआ ग्रुप कारपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो एमडीसी का उत्पादक भी है। इस कंपनी ने उत्तर नहीं दिया है।
- (viii) जुहुआ ग्रुप की वेबसाइट यह दर्शाती है कि कंपनी की मिथाइल क्लोराइड उत्पादन क्षमता 200,000 की है और ग्रुप की क्षमता 440,000 मी. टन/वर्ष तक पहुँचती है।
- (ix) आवेदकों ने आवेदन पत्र में सभी संगत सूचनाएं प्रकट की हैं। उत्पादन, बिक्री आदि जैसे मात्रात्मक मानदंडों के संदर्भ में सूचना प्रकट नहीं की गई है क्योंकि वह सार्वजनिक पटल पर नहीं है। इस अत्यधिक व्यापार संवेदी सूचना को प्रकट करना प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं के लिए काफी प्रतिस्पर्धी लाभ की होगी और इससे आवेदकों के हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। तथापि, आवेदकों ने जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना दी है।
- (x) आवेदकों ने जाँच की शुरुआत का औचित्य बनाते हुए पर्याप्त सूचना दी है और आवेदन प्रपत्र के तहत अपेक्षित सभी सूचनाएं दी हैं। जहां तक लेख में कुछ मानदंडों के मूल्यांकन की विफलता का संबंध है, आवेदकों का अनुरोध है कि आवेदकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे आवेदन पत्र में सभी मानदंडों का मूल्यांकन करें। आवेदकों का दायित्व है कि वे सभी संगत सूचनाएं दें जो उन्होंने कर दिया है।
- (xi) आवेदकों ने नियमावली के नियम 7 तथा 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में सूचीबद्ध रूप में आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना उपलब्ध कराई गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से प्रवृत्ति का विश्लेषण है जिसे आवेदन पत्र में दिए गए विभिन्न मानदंडों की प्रवृत्तियों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।
- (xii) उत्तरदाता पक्षकारों ने विभिन्न अपेक्षित महत्वपूर्ण सूचना देने में चूक की है।
- (xiii) जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना दी गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से प्रवृत्ति का विश्लेषण है जिसे आवेदन पत्र में दिए गए विभिन्न मानदंडों की प्रवृत्तियों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

24. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) घरेलू उद्योग ने विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। लेन-देन वार तथा छाटे गए आयात आंकड़ों, कच्चे/मूल आयात आंकड़ों और डीजीसीआईएंडएस से निकाले गए लेन-देनों की सूची की एक्सल फाइल में सॉफ्ट प्रति घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय रखी गई है।
- (ii) घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रपत्र भाग 6 में प्रश्नावली की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- (iii) आवेदक तथा अन्य घरेलू उत्पादकों के कंपनी-वार उत्पादन ब्यौरे गोपनीय रखे गए हैं।
- (iv) घरेलू उद्योग ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों, अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन और वेट समायोजन के लिए निर्यात कीमत से समायोजनों के दावे के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
- (v) घरेलू उद्योग द्वारा लाभ/हानि तथा आरओसीई प्रतिशत रूप में गोपनीय रखे गए हैं।

- (vi) घरेलू उद्योग ने केवल सामान्यीकृत विवरण दिए हैं और अपूर्ण उत्तरों के संबंध में कोई विशेष उदाहरण उल्लिखित नहीं किए हैं।
- (vii) घरेलू उद्योग के उस अनुरोध के संबंध में, जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि मूल कंपनी जुहुआ ग्रुप कारपोरेशन ने उत्तर नहीं दिया है, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग की समझ वृद्धिपूर्ण है।
- (viii) क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क जुहुआ ग्रुप कारपोरेशन के मैथेन क्लोराइड और परक्लोरोइथिलीन के संदर्भ में है न कि मिथाइलीन क्लोराइड के लिए।
- (ix) प्रत्येक घरेलू उत्पादक द्वारा आयातों की घोषणा का उत्तर बहुत ही छद्मपूर्ण तरीके से दिया गया है और उनमें से किसी ने भी अपने आयातों की घोषणा की अवधि निर्धारित नहीं की है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

25. गोपनीयता के संबंध में जाँच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में जाँच की गई है।

26. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

27. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियाँ या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

28. जहाँ तक सूचना की गोपनीयता के बारे में तर्कों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जाँच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहाँ भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। आयातों, घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना को परिपाटी के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है, उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता।

29. प्राधिकारी ने आवेदकों तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उसके संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के संबंध में दावों को स्वीकार किया है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई।

30. जहां तक डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के प्रकटन का संबंध है, प्राधिकारी की दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 7/2018 में घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस प्रकार, हितबद्ध पक्षकार व्यापार सूचना के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े प्राप्त कर सकते थे और अपने हितों की रक्षा कर सकते थे। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया सतत्, सभी पक्षकारों और जांचों में एक समान, समतुल्य है और हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

31. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) घरेलू उद्योग ने विभिन्न स्रोतों से पाटन रोकने के लिए व्यापार उपचार कार्रवाईयों का प्रयोग किया है और केवल संरक्षणात्मक अस्त्र के रूप में नहीं।
- (ii) जाँच के इस स्तर पर महत्वपूर्ण साक्ष्य और अपरिहार्य वास्तविक एवं कानूनी आधार के अभाव के संबंध में दावे कुछ नहीं दर्शाते, बल्कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच को पूरा करने से भटकाने का प्रयास दर्शाते हैं।
- (iii) आवेदक कंपनियों द्वारा संबद्ध सामानों का कोई आयात न किए जाने की घोषणा आवेदन पत्र के साथ की गई है।
- (iv) प्रकाशित सूचना के विपरीत दावों के संबंध में इस व्यापक दावे का उत्तर तभी दिया जा सकता है, यदि विरोधाभासी प्रकाशित सूचना के साथ विशेष दावे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं और आवेदकों के साथ भी साझे किए जाएं।
- (v) विगत मामलों के मद्देनजर, प्राधिकारी की यह एक निर्धारित परिपाटी है कि जब तक विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन या बिक्री में लगी सभी कंपनियां उत्तर न दे दें, तब तक अलग पाटन मार्जिन नहीं दिया जाएगा।
- (vi) आवेदकों ने उचित साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र का समर्थन किया है। आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग की सुभेद्य स्थिति दर्शाने का साक्ष्य है। पाटन की संभावना की मौजूदगी दर्शाने वाले मानदंड और शुल्कों की क्षति बार-बार होने के मानदंड समाप्त होने थे। इसके अतिरिक्त, नियमावली का नियम 5 निर्णायक समीक्षा के इस स्तर पर लागू नहीं है। इसी सिद्धांत से डब्ल्यूटीए, एडीए का अनुच्छेद 5 निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

32. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- (i) घरेलू उद्योग ने भारत में आयात रोककर अनुचित लाभ लेने के लिए 2000 से व्यापार उपचार तंत्र का दुरुपयोग किया है। प्राधिकारी को इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
- (ii) घरेलू उद्योग के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत हैं। आवेदन पत्र में सिद्ध साक्ष्य, पर्याप्त कानूनी एवं तथ्यात्मक आधार और क्षति नहीं है।
- (iii) आवेदकों ने कहीं भी आयातों के लिए अवधि अपनी घोषणाओं में निर्धारित नहीं की है।
- (iv) निंगबो जुहुआ ग्रुप ने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि मैसर्स जेजियांग जुहुआ कं. लि., ऑर्गेनिक फ्लोरीन ब्रांच घरेलू बिक्री में लगी एक संबद्ध विनिर्माण एवं व्यापारी हैं। तथापि, उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया। अतः इस कंपनी के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- (v) पाटन, वास्तविक क्षति, उसकी संभावना और कारणात्मकता का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। प्राधिकारी जाँच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.3 और नियम 5(3) के अनुसार इनकी उचित रूप से जाँच करने में विफल रहे। जाँच की शुरुआत अधिकतर अनुमानों और अवधारणाओं पर आधारित है।

क. संयुक्त राज्य - कनाडा से सॉफ्टवुड लंबर (डीएस-264) विवाद में यह माना गया था कि "पर्याप्त साक्ष्य" केवल आरोपों और अनुमानों से अधिक होगा।

ख. ग्वाटेमाला – सीमेंट-II (डीएस-156) में यह माना गया था कि अनुच्छेद 5.2 के तहत पूर्ण आवेदन पत्र अनुच्छेद 5.3 के तहत जाँच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दर्शाता।

ग. मैक्सिको-स्टील पाइप एंड ट्यूब्स (डीएस-331) में यह माना गया था कि यदि आवेदन पत्र में साक्ष्य पर्याप्त भी हैं तो भी यह नहीं दर्शाया जा सकता कि प्राधिकारी ने जाँच की और उसे अनुच्छेद 5.3 के अनुसार पर्याप्त होना निर्धारित किया।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

33. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है और किए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जाँच की है।

- (i) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए संबद्ध सामानों के संबंध में की गई विभिन्न व्यापार जाँचों के मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक जाँच अलग से की गई है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने तथा बढ़ाए जाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी हों।
- (ii) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन पत्र सिद्ध साक्ष्य, पर्याप्त कानूनी एवं तथ्यात्मक आधार से युक्त नहीं है, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह बात सिद्ध नहीं है। प्राधिकारी ने पूर्णतः यह संतुष्ट होने के बाद जाँच की शुरुआत की थी कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जाँच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त था। प्राधिकारी ने उन आंकड़ों/सूचना की परिशुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट भी किया जो नियम 5 के अनुसार जाँच शुरू करने के लिए आवश्यक थी। अतः प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध में कोई औचित्य नहीं पाते।
- (iii) जहाँ तक आवेदक कंपनियों द्वारा संबद्ध सामानों के आयातों की घोषणा का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र में उल्लेख है कि आवेदक कंपनियों द्वारा पूरी क्षति अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किए गए थे।
- (iv) अलग पाटन मार्जिन से संबंधित तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों के लिए चैनल की पूर्णता के संबंध में संतुष्ट होने के बाद ही अलग पाटन मार्जिन निकाले हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

सामान्य मूल्य

34. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

35. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (ii) नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए तब तक लागू नहीं होते, जब तक उत्पादक/ निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य न दर्शाएं कि वह बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों के तहत प्रचालन कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है। नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य का परिकलन निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित किया जाए:
 - क. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत;
 - ख. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित लागत;
 - ग. ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित दूसरे देश में कीमत;
 - घ. उपयुक्त लाभ राशि शामिल कर समायोजित भारत में प्रदत्त वास्तविक कीमत।
- (iii) आवेदकों ने भारत सहित दूसरे देशों में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। आवेदकों ने ताइवान से भारत में कीमत पर विचार किया है। ताइवान विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक है।
- (iv) माननीय सेसटेट ने कुईटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. बनाम भारत संघ के मामले में माना है कि विकास का स्तर केवल तभी संगत होगा, यदि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की घरेलू बिक्री कीमत अथवा उत्पादन लागत अपनाई जाए, न कि जब निर्यात किसी प्रतिनिधि देश से तीसरे देश को हों अथवा भारत पर विचार किया जाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग एवं आपूर्ति का प्रकार्य होता है और आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होता है।
- (v) यूरोपीय आयोग ने चीनी तैपई को (i) चीन जनवादी गणराज्य के मूल के पॉलीविनाइल एल्कोहॉल (ii) चीन से कुछ स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स और उसके हिस्से पुर्जों जैसी जांचों में चीन जन. गण. के लिए एक प्रतिनिधि देश के रूप में माना है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

36. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) ताइवान द्वारा तीसरे देश के निर्यातों के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा किया गया पाटन का दावा अनुपयुक्त और असंगत है।
- (ii) वर्तमान जाँच में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

- (iii) सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में ताइवान का चयन अनुपयुक्त है।
- (iv) सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल सभी देशों को निर्यातों के लिए किया जा सकता है।
- (v) संबद्ध देश से कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य उनके रिकॉर्ड से संबद्ध सामानों की लागत तथा उनकी घरेलू बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।
- (vi) घरेलू उद्योग हर बार सामान्य मूल्य के लिए अपने दावे में परिवर्तन कर रहा है, अतः वर्तमान जाँच रद्द की जाए।
- (vii) प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे दक्ष घरेलू उत्पादक की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने की अपनी सतत् परिपाटी अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित करें।
- (viii) यह बात दोहराई जाती है कि डब्ल्यूटीओ में चीन जन. गण. के अभिगम नयाचार के पैरा 15(क)(ii) में दिए गए अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था स्थितियों में न होने वाले चीनी उत्पादकों की घरेलू कीमतों और घरेलू लागतों पर ध्यान न देने के लिए 15 वर्षों की अवधि पैरा 15(घ) के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई है और वह गैर-प्रचालनात्मक हो गई है। अतः वर्तमान जाँच में चीन जन. गण. से कंपनियों के लिए सामान्य मूल्य उनकी घरेलू लागत और उनके रिकॉर्ड से संबद्ध सामानों की लागत के आधार पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए दावा करने और उत्तर दायर करने के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोधों में कोई औचित्य नहीं है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

चीन जन. गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

37. चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने

वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

39. तदनुसार, चीन जन. गण. के लिए सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. मैसर्स शानडोंग डोंगू फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंड कं. लि. (उत्पादक) ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं, परंतु बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है।

41. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव न हो, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित करके समान उत्पाद के लिए भारत में देय अथवा वास्तविक रूप से दी गई कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध-7 के तहत दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

42. आवेदकों ने चीनी तैपई सीमा शुल्क के आंकड़े उपलब्ध कराए जो यह दर्शाते हैं कि चीनी तैपई ने पूरी क्षति अवधि में वियतनाम तथा भारत को संबद्ध सामानों का काफी निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने चीनी तैपई को चीन के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने चीन के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीनी तैपई से भारत को कीमत पर विचार करने की उपयुक्तता के संबंध में अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

43. प्राधिकारी मैसर्स शेनयांग मस्तशिता एस. बैटरी कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिविल अपील संख्या 6371/2003 दिनांक 23/2/2005) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय, मैसर्स सेंचुरी प्लाइवोर्ड (आई) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (रिट याचिका सं. 6568/2017 दिनांक 4/10/2018) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपील संख्या सी/768, 600, 601, 773, 769/2005-एडी-दिनांक 9/9/2005), कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. बनाम भारत संघ (2019 की अपील संख्या 52291, दिनांक 5 अगस्त 2020) में सेसटेट, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में निहित गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में

सामान्य मूल्य निर्मित करने के संबंध में विद्यमान न्याय क्षेत्राधिकार को भी नोट करते हैं। इन निर्णयों में उपयुक्त विकल्प तथा उसके संबद्ध दायित्वों के विकल्प के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देशों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जहां तक एक निर्यातक द्वारा अपने लिखित अनुरोधों में उठाए गए तर्कों का संबंध है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चीनी तैपई चीन जन. गण. की तुलना में एक विकसित देश है, यह नोट किया जाता है कि माननीय सेसटेट ने कुइटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. बनाम भारत संघ के मामले में यह माना है कि विकास का स्तर तभी संगत होगा, यदि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की घरेलू बिक्री कीमत अथवा उत्पादन लागत अपनाई जाए, न कि जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यातों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाए। माननीय अधिकरण ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति का प्रकार्य है और वह आपूर्तिकर्ता देश के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होता है।

44. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी चीनी तैपई से भारत को कीमतें चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य के रूप में मानते हैं। चीनी तैपई गैर-संबद्ध देश है जिसमें कोई पाटनरोधी जाँच नहीं चल रही है अथवा पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है और चीनी तैपई से आयात मात्रा काफी है, अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए पैरा 7 का यह विकल्प उपयुक्त है और संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का प्रतिनिधि कारक है। पैकिंग लागतों में काफी अंतर के मद्देनजर, उत्पाद के खुले और पैकड रूप के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.5.1 शानडोंग डोंगी फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कं. लि., चीन (उत्पादक) के लिए निर्यात कीमत

45. शानडोंग डोंगी फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कं. लि. एक उत्पादक एवं निर्यातक, चीनी कानून के तहत निगमित सीमित देयता कंपनी है। डोंगू फ्लू-सिलिकॉन, डोंगी ग्रुप लिमिटेड के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली है। शानडोंग डोंगी फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कं. लि. ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात सूचित किया है। सामान भारत में ग्राहकों को सीधे ही बेचे गए हैं। भारतीय ग्राहकों को बिक्री सीआईएफ आधार पर है। कंपनी ने जाँच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार और सार-संभाल व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभारों और गैर-वापसी वैट के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

छ.5.2 निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि., चीन (उत्पादक) के लिए निर्यात कीमत

46. जाँच की अवधि के दौरान मैसर्स निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि., चीन ने *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। भारत में असंबद्ध ग्राहकों को कंपनी द्वारा किए गए सभी निर्यात सीआईएफ आधार पर हैं। निर्यातक ने कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन सार-संभाल व्यय और बैंक प्रभारों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। वैट के गैर-वापसी भाग के लिए समायोजन भी किया गया है। मैसर्स निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि. द्वारा निर्यातित संबद्ध सामानों का भारत औसत कारखानागत मूल्य उपर्युक्त समायोजनों के बाद निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमत उत्पाद के पैट रूप के लिए निर्धारित की गई है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानागत स्तर पर औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

छ.5.3 चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के मामले में निर्यात कीमत

47. इस जाँच में अन्य निर्यातकों के असहयोग के मद्देनजर, अन्य निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के अनुसार जाँच की अवधि के दौरान चीन से सहयोगी निर्यातक की निर्यात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री परिवहन, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक प्रभारों, बीमा, ऋण लागत और वैट के निमित्त कीमत समायोजनों पर विचार किया गया है। पैकिंग लागतों में काफी अंतर के मद्देनजर, उत्पाद के खुले और पैकड रूप के लिए अलग निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। तदनुसार, इस प्रकार निर्धारित कारखानागत स्तर पर औसत निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पाटन मार्जिन

48. उपर्युक्त निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

विवरण	यूनिट	शानडोंग डोंगयूई फ्लू-सिलिकॉम मैटेरियल्स कं. लि.	निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि.	अन्य
सामान्य मूल्य	अमे. डॉ./मी. टन	***	***	***
निवल निर्यात कीमत	अमे. डॉ./मी. टन	***	***	***
पाटन मार्जिन	अमे. डॉ./मी. टन	***	***	***
	%	***	***	***
	% रेंज	30-40	30-40	50-60

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क के वस्तुनिष्ठ आकलन

49. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाने वाले कारकों की जाँच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जाँच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।

50. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा के मामले में यथा-आवश्यक संशोधन के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जाँच में उन क्षति मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के तहत अपेक्षित हैं और यह भी जाँच की है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन पत्र मैसर्स गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी एसआरएएसी लि. (पूर्व में श्री रायलसीमा अलकालीज एंड एलाइड केमिकल्स लि. के रूप में ज्ञात) तथा मैसर्स केमप्लास्ट सनमार लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार आवेदकों को इस जाँच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग माना गया है। अतः क्षति निर्धारण के प्रयोजन के लिए आवेदकों की लागत एवं क्षति संबंधी सूचना की जाँच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

52. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- चीन से आयातों में 2017-18 में वृद्धि हुई और फिर 2018-19 में गिरावट आई तथा फिर जाँच की अवधि में काफी वृद्धि हुई।
- मूल जाँच के विपरीत अब देश में मांग एवं आपूर्ति का कोई अंतराल नहीं है और इस प्रकार आयातों की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) चीन से आयात कीमतों में 2018-19 तक वृद्धि हुई और मात्रा में गिरावट आई, जबकि जाँच की अवधि में आयात कीमतों में गिरावट आई तथा आयात मात्रा में वृद्धि हुई।
- (iv) आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी और इस प्रकार यदि शुल्क समाप्त किए जाते हैं तो घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती होने की संभावना है।
- (v) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में, पाटित आयात अत्यधिक बढ़ने की संभावना है जिससे कीमत न्यूनीकरण/ह्रास होगा।
- (vi) घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संदर्भ में जाँच की अवधि के अंतर्गत गिरावट आई है।
- (vii) चीन से वर्तमान आयातों का सकारात्मक पाटन एवं क्षति मार्जिन है।
- (viii) दूसरे देशों से आयात पाटित कीमतों पर नहीं थे और वस्तुतः चीनी आयातों की अपेक्षा काफी अधिक कीमतों पर थे।
- (ix) घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार खुद ही पाटनरोधी शुल्क का सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है। वर्तमान जाँच में संगत विचार चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने का परिणाम है। घरेलू उद्योग ने सतत क्षति का दावा नहीं किया है।
- (x) पाटन की संभावना और परिणामस्वरूप क्षति बार-बार होना घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र और लिखित अनुरोध में विस्तार से सिद्ध किया गया है।
- (xi) चीन से आयात कीमत और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के बीच अंतर में काफी और तेजी से इस हद तक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग की कीमत चौथी तिमाही में स्वल्प लाभ तक कम हो गई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी तेजी से गिरावट आई।
- (xii) कई ऐसी जाँचें हैं जिनमें प्राधिकारी ने उद्योग की परिणामी वित्तीय वृद्धि के बावजूद पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया है। सबसे प्रमुख पीवीसी सस्पेंशन रेसिन है। प्रत्येक जाँच के तथ्य और परिस्थितियाँ समान नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष उद्योग के लिए उत्पन्न होने वाली विशेष स्थिति दूसरे उद्योग के लिए समान नहीं हो सकती। वर्तमान स्थिति में संबद्ध सामानों का पाटन का इतिहास है, जैसा कि उत्तरदाता पक्षकारों ने भी स्वीकार किया है। घरेलू उद्योग सुभेद्य स्थिति में है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामान कीमत संवेदी सामान हैं और पाटित कीमतों पर आयात की घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा लेने और विभिन्न आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में क्षति पहुँचाने की भारी संभावना है।
- (xiii) जाँच की अवधि में और साथ ही जाँच की अवधि के बाद की तिमाहियों में भी बढ़े हुए आयातों के आलोक में पाटनरोधी शुल्क जारी रखना बहुत अधिक आवश्यक है।
- (xiv) आवेदकों ने निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है।
- (xv) संबद्ध देश से संभावना और पाटित आयातों के काफी बढ़ने और उसके बाद क्षति पहुँचाने के संबंध में दावे जाँच की शुरुआत के लिए आवेदन पत्र में रिकार्ड में रखे गए साक्ष्य तथा दायर लिखित अनुरोध में दिए गए साक्ष्य और 14 दिसंबर, 2020 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए गए साक्ष्य के आधार पर हैं। ये केवल आरोप अथवा अनुमान नहीं हैं।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

53. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) दूसरे देशों से आयात काफी बढ़े हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- (ii) आयात कीमत घरेलू उद्योग के कीमत व्यवहार को प्रभावित नहीं करती क्योंकि आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कहीं अधिक है।

- (iii) पूरी क्षति अवधि और जाँच की अवधि के दौरान सभी आर्थिक मानदंड, कुछ को छोड़कर सकारात्मक रहे, अतः घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति चीन जन. गण. से आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- (iv) समीक्षा अवधि के दौरान प्रचालनों से राजस्व में अच्छी मांग के कारण 33 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, कंपनी के ईबीआईटीडीए में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई, कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 162 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, एक शेयर का बुक मूल्य 336.13 रुपये तक पहुँचा और कोविड-19 के बावजूद बाजार मूल्य 600 रुपये तक पहुँचा।
- (v) नियमावली का नियम 5 निर्णायक समीक्षा के स्तर पर लागू नहीं है। उसी सिद्धांत से डब्ल्यूटीओ एडीए का अनुच्छेद 5 निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं है।
- (vi) चीन जन. गण. से 60 डेनियर से अधिक के विस्कोस फिलामेंट यार्न (पैरा 132) (मामला संख्या: 6/26/2020-डीजीटीआर) के मामले में, प्राधिकारी ने अपने दिनांक 20.04.2018 के अंतिम जाँच परिणाम में यह मत दिया कि यहां तक कि यद्यपि सामान्य मूल्य कम है, परंतु घरेलू उद्योग की वित्तीय वृद्धि और स्थिति काफी अच्छी है, अतः अब पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

54. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा पाटित आयातों की मात्रा और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की वस्तुपरक जाँच का प्रावधान है।

55. अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले न हटाया गया हो, उसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार का किसी समीक्षा में यह मत है कि यदि उस शुल्क को बंद करने से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, वह समय-समय पर अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए उसे लगाए जाने की अवधि बढ़ा सकती है और वह अगली अवधि उस अवधि के बढ़ाए जाने के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित विभिन्न डब्ल्यूटीओ निर्णयों के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत सिद्ध आवेदन पत्र दायर करने के बाद ही शुरू की गई है जिसमें जाँच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया गया है।

57. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जाँच करने के लिए कार्रवाई करने से पूर्व घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जाँच करने की कार्रवाई करते हैं।

58. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की जाँच की है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

59. वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा तथा सभी स्रोतों से आयातों के रूप में विचार किया है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
भारत में मांग					
आवेदक की बिक्रियां	मी. टन	89,591	97,738	1,00,805	99,988
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	39,926	38,709	69,890	97,339

संबद्ध देश	मी. टन	40,847	41,454	37,051	47,581
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है	मी. टन	22,290	14,434	12,691	15,616
अन्य देशों से आयात	मी. टन	13,866	17,004	14,881	19,587
कुल मांग	मी. टन	2,06,520	2,09,339	2,35,318	2,80,111

60. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है।

ख. आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

61. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से या भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है।

62. तथापि, वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस से लिए गए आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। क्षति जाँच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा और संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	40,847	41,454	37,051	47,581
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	91	117
उस देश से आयात जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है	मी. टन	22,290	14,434	12,691	15,616
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	57	70
अन्य देश से आयात	मी. टन	13,866	17,004	14,881	19,587
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	127	141
कुल आयात	मी. टन	77,003	72,893	64,623	82,784
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	84	108
कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	53.05	56.87	57.33	57.48
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	108	108
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	1,33,572	1,39,290	1,77,897	2,06,684
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	133	155
उत्पादन से संबंधित संबद्ध देश से आयात	%	30.58	29.76	20.83	23.02
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	68	75
मांग	मी. टन	2,06,520	2,09,339	2,35,318	2,80,111
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	114	136
भारत में मांग से संबंधित संबद्ध देश से आयात	%	19.78	19.80	15.75	16.99
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	80	86

63. यह नोट किया जाता है कि:

- (i) चीन जन. गण. से आयात 2016-17 में 40,847 मी. टन से घटकर 2018-19 में 37,051 मी. टन हो गए। उसके बाद, आयात जाँच की अवधि के दौरान काफी बढ़कर 47,581 मी. टन हो गए। समग्र रूप से, जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की वृद्धि है।
- (ii) खपत और उत्पादन के संबंध में चीन जन. गण. से आयातों में 2018-19 में भी गिरावट आई और उसके बाद जाँच की अवधि में वृद्धि हुई।

झ. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

64. नियमावली के अनुबंध-II(ii) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण एवं कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करना अपेक्षित होता है।

(i) कीमत कटौती

65. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या उन आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी मात्रा तक कीमतों को कम करना है अथवा कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध देश से उत्पाद के पहुँच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, सभी छूटों और करों के निवल, के बीच तुलना व्यापार के उसी स्तर पर की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	29,543	35,601	48,775	41,546
निवल बिक्री वसूली	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	146	120
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	% रेंज	15-25	10-20	5-15	0-10

66. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती होने की संभावना है।

(ii) कीमत न्यूनीकरण एवं ह्रास

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करने तथा कीमतों में वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों तथा कीमतों में परिवर्तनों की जाँच नीचे की गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
विक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	114	100

निवल बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	146	120
पहुँच कीमत	रु./मी. टन	29,543	35,601	48,775	41,546
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	165	141

68. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू समान उत्पाद की बिक्री में बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, यह देखा जाता है कि यद्यपि आयातों की पहुँच कीमत और बिक्री कीमत में जाँच की अवधि में, 2018-19 तक, बिक्री लागत से अधिक वृद्धि हुई, यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत में गिरावट उसकी बिक्री लागत में गिरावट से कहीं अधिक थी। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं।

69. प्राधिकारी ने जाँच की अवधि के अंतर्गत आयातों की बिक्री कीमत और पहुँच कीमत में प्रवृत्तियों की भी जाँच की है। यह देखा जाता है कि आयात कीमत में जाँच की अवधि के अंतर्गत निरंतर और तेजी से गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई।

मानदंड	यूनिट	ति.-1	ति.-2	ति.-3	ति.-4
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	44,337	42,837	40,515	37,159
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	91	84
बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	88	78

झ.1 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

70. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों तथा सभी संगत आर्थिक कारकों; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

71. प्राधिकारी ने विभिन्न तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुपरक रूप से जाँच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

72. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
क्षमता - संयंत्र	मी. टन	1,78,950	1,78,950	1,78,950	1,78,950
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन - संयंत्र	मी. टन	1,60,765	1,67,954	1,68,299	1,72,390

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	107
क्षमता उपयोग	%	90%	94%	94%	96%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	105	107
उत्पादन – विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	91,848	95,686	1,00,578	1,01,370
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	110	110
घरेलू बिक्री मात्रा	मी. टन	89,591	97,738	1,00,805	99,988
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	113	112

73. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई।
- घरेलू बिक्री में 2018-19 तक वृद्धि हुई और जाँच की अवधि में उसमें आंशिक गिरावट आई। यद्यपि जाँच की अवधि मांग में काफी वृद्धि हुई, तथापि घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है और आयात काफी बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त, आयात बढ़े और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में घरेलू एवं आयातित उत्पाद की कीमतों के बीच घटते हुए अंतराल के बावजूद गिरावट आई।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

74. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

मांग में बाजार हिस्सा	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
आवेदक का हिस्सा	%	43.38	46.69	42.84	35.70
अन्य उत्पादकों का हिस्सा	%	19.33	18.49	29.70	34.75
संबद्ध देश	%	19.78	19.80	15.75	16.99
वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है	%	10.79	6.90	5.39	5.57
अन्य देशों से आयात	%	6.71	8.12	6.32	6.99
कुल	%	100	100	100	100

75. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में घरेलू बाजार में प्रवेश करने वाले नए उत्पादक के परिणामस्वरूप क्षति की अवधि में गिरावट आई। तथापि, घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में समग्र रूप से 2018-19 तक वृद्धि हुई और उसके बाद जाँच की अवधि में गिरावट आई। संबद्ध देश के बाजार हिस्से में 2018-19 तक गिरावट आई है, परंतु पुनः जाँच की अवधि में वृद्धि हुई है।

iii. मालसूची

76. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची में 2018-19 तक गिरावट आई और जाँच की अवधि में आंशिक वृद्धि हुई।

स्टॉक	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
प्रारंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	66	32
अंतिम स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	19	39
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	36	36

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

77. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
लाभ/(हानि)	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	165	1,197	773
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	180	1,347	863
पीबीआईटी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	672	457
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	587	396
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	707	491

78. यह देखा जाता है कि:

- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2018-19 तक सुधार हुआ। तथापि, लाभप्रदता में जाँच की अवधि में पूर्व वर्ष की तुलना में काफी गिरावट आई।
- नकद लाभ, पीबीआईटी तथा नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) लाभप्रदता की तरह वही प्रवृत्ति दर्शाते हैं।
- लाभप्रदता 2017-18 तक काफी कम थी जिससे 2017-18 तक कम आरओसीई और नकद लाभ हुए। लाभप्रदता में 2018-19 में सुधार हुआ।

जाँच की अवधि में लाभप्रदता का तिमाही-वार विश्लेषण

विवरण	यूओएम	जाँच की अवधि – ति.-1	जाँच की अवधि – ति.-2	जाँच की अवधि – ति.-3	जाँच की अवधि – ति.-4
लाभ/हानि	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	148	89	25
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	90	25
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	92	34
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	91	33

- (i) लाभ, नकद प्रवाह, आरओआई के संदर्भ में घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में जाँच की अवधि में ह्रास हुआ।
- (ii) प्राधिकारी ने जाँच की अवधि में घरेलू उद्योग की तिमाही लाभप्रदता की प्रवृत्ति की भी जाँच की। तिमाही-आधार पर यह देखा जाता है कि जाँच की अवधि में लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। पीबीआईटी और नकद लाभ में भी तिमाही आधार पर गिरावट आई है। आरओआई में भी जाँच की अवधि की चौथी तिमाही के दौरान काफी गिरावट आई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

79. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	110	111
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	110	110
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	143	128

80. यह देखा जाता है कि:

- (i) प्रदत्त मजदूरी में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और जाँच की अवधि में गिरावट आई है।
- (ii) कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि के दौरान लगभग समान रही है।
- (iii) प्रति दिन उत्पादकता में भी पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

vi. वृद्धि

81. घरेलू उद्योग की वृद्धि से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
उत्पादन (विचाराधीन उत्पाद)	%	4	5	1
घरेलू बिक्री (विचाराधीन उत्पाद)	%	9	3	(1)
घरेलू लाभ (रु./मी. टन)	%	65	625	(35)
घरेलू लाभ (लाख रु.)	%	80	648	(36)
नकद लाभ (लाख रु.)	%	27	362	(33)
पीबीआईटी (लाख रु.)	%	21	455	(32)
आरओसीई	%	25	464	(31)

82. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रात्मक मानदंडों (बिक्री मात्रा को छोड़कर) के संबंध में सकारात्मक थी। कीमत मानदंडों के संबंध में वृद्धि 2018-19 तक काफी सकारात्मक थी और जाँच की अवधि में वह नकारात्मक हो गई।

vii. पाटन की मात्रा

83. पाटन की मात्रा उस सीमा तक एक संकेतक है जहां तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। जाँच से यह पता चला है कि पाटन मार्जिन जाँच की अवधि में सकारात्मक और काफी है।

viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

84. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में जाँच की अवधि में गिरावट आई है। यह नोट किया जाता है कि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को बंद किए जाने की स्थिति में प्रभावित होने की संभावना है।

ix. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

85. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य जाँच की अवधि के दौरान उसकी निवल बिक्री कीमत से कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण किया है जिससे जाँच की अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट आई। संबद्ध देश से पाटित आयात जाँच की अवधि में बाजार में उत्पाद की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

x. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन की मात्रा

86. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई और जाँच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण एवं गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार और अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

87. उपर्युक्त निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

विवरण	यूनिट	शानडोंग डोंगयूई फ्लू-सिलिकॉन मैटेरियल कं. लि.	निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं. लि.	अन्य
क्षति रहित कीमत	अमे. डॉ./मी. टन	***	***	***
पहुँच कीमत	अमे. डॉ./मी. टन	***	***	***
क्षति मार्जिन	अमे. डॉ./मी. टन	***	***	***
	%	***	***	***
	% रेंज	0-10	0-10	10-20

ज. कारणात्मक संपर्क और गैर-आरोप्य विश्लेषण

88. प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य ज्ञात कारकों की जाँच की जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही होती ताकि इन अन्य कारकों के कारण क्षति, यदि कोई है, पाटित आयातों के कारण न हो। इस संबंध में, जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा तथा कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास तथा निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने यह जाँच की है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

89. यह देखा जाता है कि अन्य देशों से आयातों पर या तो पाटनरोधी शुल्क लग रहे हैं अथवा उच्चतर कीमतों पर हैं।

ख. मांग में संकुचन

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की मांग पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

91. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें एवं व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियाँ घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

93. प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तनों की मौजूदगी के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

94. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन के क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं और उन्हें क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। अतः आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

क्षति के जारी रहने संबंधी विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क

96. घरेलू समान उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन और संबद्ध सामानों के आयातों की जाँच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से वृद्धि हुई है। पाटित आयातों की मात्रा में भी भारतीय उत्पादन और जाँच की अवधि में मांग के संबंध में पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू समान उत्पाद की बिक्री कीमत में 2018-19 तक बिक्री लागत में वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में जाँच की अवधि में बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक गिरावट आई और संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव के प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग तथा समग्र रूप से उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से में 2018-19 तक वृद्धि हुई है तथा फिर जाँच की अवधि में गिरावट आई है। लाभ, नकद लाभ और

नियोजित पूंजी पर आय में 2018-19 तक वृद्धि हुई और जाँच की अवधि में गिरावट आई। यह भी नोट किया जाता है कि लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में जाँच की अवधि में काफी ह्रास हुआ है।

ट. पाटन और क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना

ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

97. पाटन अथवा क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- (i) चीन जन. गण. से निर्यातकों द्वारा और बढ़ाए जा रहे सतत पाटन की स्पष्ट संभावना है जिससे, यदि विद्यमान शुल्क वापस लिए जाते हैं तो, घरेलू उद्योग को और गहन क्षति की स्थिति बनने की संभावना है।
- (ii) आयात पाटित और क्षति रहित कीमत पर आ रहे हैं। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों की कीमतें जाँच की अवधि में लगभग 20 प्रतिशत तक और कम हो गई हैं। इस प्रकार, शुल्क समाप्त होने से और पाटन होने की संभावना है और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक है। जाँच की अवधि के अंतर्गत तिमाही आधार पर क्षति मार्जिन और गहन हुआ है।
- (iii) चीनी उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं। 2016 में उत्पादन क्षमता 1.83 मिलियन टन थी जो 2019 तक लगभग 2.06 मिलियन टन तक बढ़ गई। खपत उसी गति से नहीं बढ़ी है जिससे भारी स्थान की क्षमता हुई है और प्रचालन दरों में गिरावट आई है। यदि शुल्क समाप्त किए जाते हैं तो यह वृद्धि भारतीय बाजार को भेजी जाएगी।
- (iv) चीन में संबद्ध सामानों के लिए मांग केवल 9,18,000 टन है जबकि उसकी क्षमता 20,60,000 मी. टन की है। चीनी उत्पादकों के सामने 11,42,000 मी. टन की अधिशेष क्षमता है अर्थात् लगभग 55 प्रतिशत चीनी क्षमता घरेलू मांग से अधिक है। भारत में पूरी घरेलू मांग लगभग 2,95,286 मी. टन की ही है।
- (v) पर्यावरणीय संरक्षण नीतियों से चीनी उद्योग के सामने कम अथवा यहां तक कि नकारात्मक वृद्धि आ रही है। इसके अतिरिक्त, यह स्थिति कोविड-19 महामारी के आलोक में और बुरी होने की संभावना है।
- (vi) चीन में मालसूची में भी नकारात्मक वृद्धि हुई है क्योंकि चीनी उत्पादकों के सामने कम मांग के उत्पादन की समस्या आ रही है। इस प्रकार, चीनी उत्पादक उत्पादन रोक रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सही मायने में मालसूची चीनी उत्पादकों में अतिरिक्त क्षमता नहीं दर्शाती।
- (vii) चीनी उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और कुछ कंपनियां केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए स्थापित हैं। भारत निर्यातों के लिए उनका एक प्रमुख लक्ष्य है।
- (viii) भारतीय उद्योग एक संवेदनशील उद्योग रहा है और विभिन्न देशों से संबद्ध सामानों का पाटन होता रहा है। चीनी उत्पादकों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। भारत को निर्यात प्रस्तावित जाँच अवधि में कुल चीनी निर्यातों का लगभग 28 प्रतिशत है।

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
भारत को चीन का निर्यात	40,847	41,454	37,051	49,357
चीन का वैश्विक निर्यात	1,36,578	1,51,125	1,42,311	173,513
वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा	36%	28%	27%	28%
निर्यात लक्ष्य में भारत की रैंकिंग	1	1	1	1

स्रोत: व्यापार मैप (सीमा शुल्क आंकड़े)

- (ix) चीन से आयातों में उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के मद्देनजर शुल्क लागू होने के बावजूद काफी वृद्धि हुई है। यदि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाते हैं तो चीनी निर्यातों में उछाल आने की संभावना है।

अवधि	चीन-मी. टन
2010-11	5,384
2011-12	16,084
2012-13	334
2013-14	4,794
2014-15	25,285
2015-16	69,038
2016-17	40,847
2017-18	41,454
2018-19	37,008
जाँच की अवधि	47,581

- (x) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2011-12 से कम हो शुरू हुई और उसे 2013-14 तक हानियां हो रही थीं। उद्योग के निष्पादन में 2014-15 में सुधार हुआ, परंतु पुनः उसमें गिरावट आई और प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया से आयातों के संबंध में की गई निर्णायक समीक्षा जाँच में निरंतर क्षति का निष्कर्ष निकाला जिसमें निर्णायक समीक्षा जाँच की जांचावधि के रूप में जनवरी, 2017 – दिसंबर, 2017 मानी गई थी।
- (xi) 2018-19 में ही घरेलू उद्योग ने उपयुक्त लाभ कमाना शुरू किया। इसके अतिरिक्त, यह सुधार बहुत कम समय के लिए रहा क्योंकि लाभप्रदता और परिणाम में भी तीव्र आय में जाँच की अवधि में पुनः एक बार गिरावट आई जो 2019-20 की पहली तिमाही में 12,466 रु./मी. टन थी, वह घटकर 2019-20 की चौथी तिमाही में 1,813 रु./मी. टन हो गई।
- (xii) चीन पाटित और क्षति रहित कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कर रहा है। वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को चीनी निर्यातों का चीन सीमा शुल्क आंकड़ों के आधार पर जाँच की अवधि के लिए तिमाही आधार पर विश्लेषण किया गया है। यह देखा जा सकता है कि जाँच की अवधि के दौरान भारत को छोड़कर वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को चीन से निर्यातों की कुल मात्रा 124,156 मी. टन थी और 121,851 मी. टन (अर्थात् 98 प्रतिशत) पाटित कीमतों पर किए गए थे तथा कुल 31,962 मी. टन क्षतिकारक कीमतों पर किए गए थे जो कि तीसरे देश को चीन के कुल निर्यातों का 26 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, तिमाही-वार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि तीसरे देश को क्षतिकारक निर्यातों के हिस्से में जाँच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। यह देखा जाएगा कि क्षति कारक निर्यातों का हिस्से पहली तिमाही में 19.43 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 73.32 प्रतिशत हो गया।

भारत के अलावा निर्यात	मात्रा (मी. टन)	सकारात्मक पाटन मार्जिन वाली मात्रा	सकारात्मक क्षति मार्जिन वाली मात्रा	क्षति निर्यातों की प्रतिशतता
	124,156	121,851	31,962	
ति.-1	34,070	33,882	6,619	19.43
ति.-2	36,512	34,510	4,264	11.68

ति.-3	36,415	36,300	8,498	23.34
ति.-4	17,159	17,159	12,582	73.32

- (xiii) इस उत्पाद का देश में सतत एवं नवीनीकृत पाटन का लंबा इतिहास है। सबसे पहले पाटनरोधी उपाय 2003 में लगाए गए थे। पाटनरोधी शुल्क यूरोपीय संघ, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका पर लगाए गए थे जिससे इन देशों से आयातों में गिरावट आई और चीन से पाटित आयातों में वृद्धि हुई। इस प्रकार, संबद्ध सामान कीमत संवेदी उत्पाद है और वैश्विक रूप से उत्पादकों के सामने काफी अधिशेष हैं तथा उन्होंने विभिन्न बाजारों में उत्पाद के पाटन का सहारा लिया है। चीनी उत्पादक अपने निर्यातों को कीमत आकर्षक स्थानों को भेजने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- (xiv) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी हैं। ग्राहक कीमत पर सबसे अधिक विचार करके अपनी खरीददारी का निर्णय लेते हैं। आयातों की पहुँच कीमतें वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं। ऐसी स्थिति में बाजार में चीन से ऐसे कम कीमत के आयात की उपलब्धता से निश्चित रूप से बाजार में कीमतों पर न्यूनीकरण/हासमान प्रभाव पड़ेगा।
- (xv) आवेदकों ने उत्पादन और क्षमता के आधार पर और चीनी घरेलू मांग से उसकी तुलना के आधार पर "अतिरिक्त क्षमता" पर विचार किया है। क्षमता और घरेलू मांग के बीच अंतर अधिशेष क्षमता होती है। जाँच की अवधि में और जाँच की अवधि के बाद की अवधि में बढ़े हुए पाटित आयात खुद ही उस अधिशेष क्षमता को भारत को भेजने की संभावना दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों को चीनी निर्यातों का व्यवहार भी भारतीय बाजार को व्यापार परिवर्तन की संभावना दर्शाता है। भारत उनका सबसे अनुकूल स्थान रहा है।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

98. पाटन अथवा क्षति के बार-बार होने अथवा जारी रहने की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदकों ने क्षमता में से उत्पादन कम करने के आधार पर "अतिरिक्त क्षमता" गलत माना है और इसके अतिरिक्त इसका कोई आधार नहीं है कि वह अतिरिक्त क्षमता शुल्क वापस लिए जाने की स्थिति में भारत को भेजी जाएगी। इस प्रकार क्षमता भेजना संगत सूचना के आधार पर ही दर्शाई जा सकती है।
- भारत चीनी आयातों के लिए कीमत आकर्षक देश नहीं है क्योंकि भारत में चीनी आयात अन्य देशों से सस्ते हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

99. प्राधिकारी की जानकारी में लाए गए सभी कारकों की यह निर्धारित करने के लिए जाँच की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है, प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं पर विचार किया है।

100. प्राधिकारी ने धारा 9क(5) में उल्लिखित अपेक्षा, नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II(vii) के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जाँच की है। वर्तमान जाँच चीन जन. गण. और रूस से संबद्ध सामानों के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे यह निर्धारित करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क निरंतर लगाया जाना आवश्यक है।

i. सतत एवं विद्यमान पाटन और क्षति

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जाँच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। जाँच की अवधि में आयात सर्वाधिक हैं। इसके अतिरिक्त, जाँच की अवधि के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक है और इस प्रकार संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पाटन जारी है। यह भी देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए बिना ये आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क बंद करने से सकारात्मक कीमत कटौती देखे जाने की संभावना है।

ii. वर्तमान क्षति अवधि में आयात

102. यद्यपि चीन से आयातों में पूर्व वर्षों से 2018-19 में गिरावट आई, तथापि जाँच की अवधि में आयातों में पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन तथा खपत के संबंध में भी काफी वृद्धि हुई। आयातों में वर्तमान वृद्धि उस स्थिति में है जबकि उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।

iii. संबद्ध देश में अधिशेष क्षमताएं

103. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह देखा जाता है कि चीन में निर्यातकों के पास 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त क्षमताएं हैं।

विवरण	यूनिट	2016	2019
क्षमता	मी. टन	18,30,000	20,60,000
वास्तविक उत्पादन	मी. टन	9,74,000	10,92,000
घरेलू मांग	मी. टन	8,39,000	9,18,000
अधिशेष क्षमता	मी. टन	9,91,000	11,42,000
भारतीय मांग	मी. टन	2,06,520	2,80,111
भारतीय मांग के प्रतिशत के रूप में अधिशेष क्षमता	%	480	408

स्रोत: मार्केट रिसर्च रिपोर्ट फॉर मिथाइलीन क्लोराइड

iv. चीनी घरेलू मांग में वर्तमान गिरती हुई और संभावित वृद्धि

104. घरेलू उद्योग से प्राप्त सूचना यह दर्शाती है कि पर्यावरणीय संरक्षण नीतियों से चीनी उद्योग के सामने मांग में कम वृद्धि की समस्या आई है जबकि भारत में मांग में वृद्धि सकारात्मक और अच्छी है। इस प्रकार, यह संकेतात्मक है कि संबद्ध देश में उत्पादकों के सामने भारत में भावी एवं सकारात्मक मांग पर भी अधिशेष क्षमता की समस्या आ रही है, उत्पादक आक्रामक रूप से भारतीय बाजार की ओर देखेंगे।

विवरण	यूनिट	2016	2019	2023 (अनुमानित)
चीन				
खपत	मी. टन	839,000	918,000	999,000
वृद्धि	%	3.0%	2.7%	2.3%
भारत		2016-17	2019-20	
खपत	मी. टन	208,318	288,086	
वृद्धि	%		38%	

स्रोत: मार्केट रिसर्च रिपोर्ट फॉर मिथाइलीन क्लोराइड

v. चीन में निर्यातकों की उच्च निर्यातोन्मुखता

105. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में अधिशेष क्षमता भारत को बेच सकते हैं।

विवरण	यूनिट	2016	2019
वास्तविक उत्पादन	मी. टन	9,74,000	10,92,000
घरेलू मांग	मी. टन	8,39,000	9,18,000

वैश्विक निर्यातक (वार्षिकीकृत) *	मी. टन	1,36,578	2,64,332
उन देशों की संख्या जिनसे चीन निर्यात करता है	सं.		87
उत्पादन के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	14	24
घरेलू मांग के प्रतिशत के रूप में निर्यात	%	16	29
भारत को निर्यात	मी. टन	40,847	47,581
वैश्विक निर्यात के प्रतिशत के रूप में भारत को निर्यात	%	30%	18%

* स्रोत: ट्रेडमैप

vi. कीमत कटौती और बाजार के रूप में भारत की आकर्षकता

106. यह नोट किया जाता है कि जाँच की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक है और इस प्रकार वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने से गहन पाटन होने की संभावना है और जिससे घरेलू उद्योग को बिक्री की कम मात्रा, कम बिक्री कीमत और लाभ में गिरावट के रूप में क्षति होगी।

107. आवेदक ने दावा किया है कि कीमत कटौती पर विचार करते हुए यदि भारतीय उत्पादक कीमत कटौती की राशि (पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में) तक कीमतें कम करते हैं तो भारतीय उत्पादकों को लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय में और गिरावट होगी।

vii. भारत चीन के लिए प्रमुख बाजार है

108. वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को चीन से निर्यातों से संबंधित सूचना चीन सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार यह दर्शाती है कि भारत चीनी उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार रहा है। भारत को निर्यात जाँच की अवधि में कुल चीनी निर्यातों का लगभग 28 प्रतिशत हैं।

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	जाँच की अवधि
भारत को निर्यात	40,847	41,454	37,051	49,357
वैश्विक निर्यात	1,36,578	1,51,125	1,42,311	173,513
वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा	36%	28%	27%	28.44%
निर्यात लक्ष्य में भारत की रैंकिंग	1	1	1	1

स्रोत: व्यापार मैप (सीमा शुल्क आंकड़े)

तीसरे देश का पाटन

109. घरेलू उद्योग ने वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को चीनी निर्यातों के संबंध में सूचना दी है। घरेलू उद्योग ने तिमाही आधार पर सामान्य मूल्य के साथ निर्यात मात्रा की तुलना की है। इसके अतिरिक्त, इन आंकड़ों की परिकलित एनआईपी के साथ तुलना की गई है। यह देखा जाता है कि तीसरे देशों के लगभग पूरे निर्यात पाटित कीमत पर किए जाते हैं और 26 प्रतिशत निर्यात क्षतिकारक कीमत पर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, चौथी तिमाही के दौरान क्षतिकारक निर्यातों का हिस्सा 73 प्रतिशत तक बढ़ा। इस प्रकार, तीसरे देश से भारत को निर्यात पाटित कीमतों पर बढ़ने की संभावना है और क्षतिकारक कीमत के भारतीय उद्योग को क्षति पहुँचाने की संभावना है।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

110. प्रकटन पश्चात के अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जाँच की है जिनमें ऐसे दोहराव हैं जिनका इस अंतिम जाँच परिणाम के संगत पैराग्राफों में उपयुक्त रूप से परीक्षण और पर्याप्त रूप से समाधान पहले ही किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।

ठ.1 घरेलू उद्योग के विचार

111. प्रकटन विवरण के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. यह मानते हुए कि आयातों का अधिकांश हिस्सा अग्रिम लाइसेंस के अधीन किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि (क) उससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है, (ख) वह संभावना निर्धारण के लिए संगत नहीं है। जब निर्यात अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अधीन हुए हैं तो निर्यात कीमत पूर्ण सीमा शुल्क लागू होने की स्थिति में उतनी ही अधिक हो सकती है, परंतु कोई ए डी डी लागू नहीं है। यदि ए डी डी समाप्त होता है तो पाटन में वृद्धि होगी तथा जब चीन शुल्क प्रदत्त बाजार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करेगा तो पाटन में वृद्धि होगी।
- ii. भारतीय बाजार में भारतीय उत्पादकों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा है। ए डी डी ने घरेलू उत्पादकों को समान अवसर का बाजार दिया है और मेघमनी जैसे नए उत्पादकों के लिए बाजार में प्रवेश करना संभव हुआ है। परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद पी यू सी के समान वस्तु है। संबद्ध वस्तु के लिए अलग विनिर्माण प्रक्रिया हो सकती है, परंतु उससे संबद्ध वस्तु अलग नहीं हो जाती है।
- iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, एन वी आर (गैर वोलेटाइल अवशिष्ट), ट्रान्स 1-2 डाईक्लोरोथाईलीन और स्टेबिलाइजर सभी 20-25 पीपीएम (पाटर्स प्रति मिलियन) से कम हैं और इससे प्रयोग का मापदंड किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है क्योंकि इनकी उपस्थिति काफी कम/नगण्य है। घरेलू उद्योग द्वारा पूरे देश भर में यूएसएफडीए अनुमोदित फार्मा संयंत्रों को एमडीसी की आपूर्ति की गई है और इसलिए उत्पाद की गुणवत्ता सुस्थापित है।
- v. भंडारण में ड्रम पैकिंग को पसंद किया जाता है।
- vi. कास्टिक सोडा की कीमतों और एमडीसी की कीमतों के बीच कोई सह संबंध या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है जैसा कि हितबद्ध पक्षकार ने तर्क दिया है। दोनों उत्पाद अपने-अपने संबंधित उत्पाद, बाजार, ग्राहक क्षेत्र और मांग / आपूर्ति की स्थिति से संबंधित बाजार आयामों द्वारा चालित हैं।
- vii. इस संयंत्र को पी ओ आई के अंत में (मार्च, 2020) केवल एक सप्ताह के लिए बंद किया गया था। तथापि, कंपनी का क्षमता उपयोग वस्तुतः पी ओ आई में उच्चतम था।
- viii. सभी मापदंड संचयी और संगठित रूप से सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग लागू ए डी डी को देखते हुए अपना कार्य निष्पादन सुधारने में सक्षम था। आयात कीमतों में तीव्र गिरावट और आयात मात्राओं में वृद्धि के कारण पी ओ आई के भीतर घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन खराब हुआ है। यदि ए डी डी समाप्त होता है तो पाटन और क्षति की संभावना है।
- ix. भारत, चीन के लिए निर्यातों का सबसे पहला गंतव्य बना हुआ है। भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से भारी वृद्धि हुई है। आयात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर जारी हैं। चीन के उत्पादकों के पास काफी उत्पादन क्षमता है जो उनकी मांग से काफी अधिक है। क्षमता में इस वृद्धि को अंततः यदि शुल्क हटाया जाता है तो भारतीय बाजार की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, चीन के उत्पादक काफी अधिक निर्यातोन्मुख हैं और कुछ कंपनियों को केवल निर्यात के प्रयोजनार्थ स्थापित किया गया है। चीन न केवल भारत में पाटित और क्षतिकारी कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहा है, बल्कि पाटित और क्षतिकारी कीमत पर अन्य देशों को भी निर्यात कर रहा है।
- x. वर्तमान परिस्थितियों में लागू शुल्कों का समय बढ़ाया जाना आवश्यक है और राशि में संशोधन आवश्यक नहीं है।
- xi. ए डी डी को अमरीकी डॉलर/मी. टन में यथा अभिव्यक्त शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क की स्थिर राशि (शुल्क का स्थिर रूप) की तरह से ही लगाया जा सकता है।

ठ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

112. प्रकटन विवरण के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- i. गैर अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत चीन से आयात नगण्य हैं। यह देखा जा सकता है कि यदि क्षति और क्षति की संभावना के विश्लेषण में ऐसे आयातों को शामिल किया जाता है और ए डी डी की सिफारिश की जाती है तो भी उक्त शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत आयात किसी ए डी डी के अधीन नहीं होंगे और भारत में आते रहेंगे।

- ii. घरेलू उद्योग के बीच प्रतिस्पर्धा के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।
- iii. उत्पादन प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर के प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए।
- iv. प्राधिकारी से निर्यातक और घरेलू उद्योग का सत्यापन करने का अनुरोध किया जाता है।
- v. वाष्पीकरण के पश्चात अवशिष्ट के संबंध में विनिर्देशनों/मापदंडों में अंतर है, ट्रान्स 1-2 डाईक्लोरोथाईलीन और स्टेबिलाइजर की जाँच की जानी चाहिए।
- vi. भंडारण में ड्रम पैकिंग पसंद की जाती है। ड्रम में स्टोर करना आसान है।
- vii. क्लोरीन एक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है। इसका कास्टिक सोडा के विनिर्माण में भी प्रयोग होता है जब कास्टिक सोडा की कीमत बढ़ती है तो मेथिलीन क्लोराइड की कीमत घटती है तथा इसके विपरीत भी यही होता है।
- viii. पी ओ आई में घरेलू उद्योग के बंद होने के प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- ix. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति में वृद्धि की जाँच की जानी चाहिए।
- x. अत्यधिक गोपनीयता के आरोप के संबंध में शानडांग ने बताया है कि प्रश्नावली का उत्तर देते समय उन्होंने व्यापार सूचना 10/2018 में डीजीटीआर द्वारा जारी गोपनीयता संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया है।
- xi. आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध साक्ष्य को गोपनीय माना है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह इस मामले में सामान्य मूल्य की गणना में 'प्रतिनिध देश' पद्धति का प्रयोग न करें, चाहे हाल में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय द्वारा जारी ई यू के विरुद्ध चीन जन. गण. द्वारा शुरू किए गए फास्टनर के मामले संबंधी रिपोर्ट के अनुक्रम में, चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए अथवा नहीं। चीनी ताईपेयी द्वारा अन्य देशों को निर्यात पर आधारित सामान्य मूल्य निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।
- xii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में संपूर्ण क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। जबकि मांग में वृद्धि के अनुसार घरेलू बिक्री में वृद्धि हुई है। अन्य देशों से आयात भी आधार वर्ष की तुलना में पी ओ आई के दौरान काफी अधिक बढ़ गए हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- xiii. चीन जन. गण. से आयातों के पहुंच मूल्य में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि आयात कीमत से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के कीमत व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xiv. आयातों से पिछले चार वर्षों में कोई कीमत न्यूनीकरण और ह्रास नहीं हुआ है।
- xv. आवेदक को पी ओ आई की तुलना में 2018-19 के दौरान बम्पर लाभ हुआ है। पी ओ आई के दौरान लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय की दृष्टि से घरेलू उद्योग के समग्र कार्य निष्पादन में विकृति आयी है। प्राधिकारी के लिए पी ओ आई के भीतर घरेलू उद्योग की तिमाही लाभप्रदता की प्रवृत्ति की जाँच करना अपेक्षित है।
- xvi. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता की दृष्टि से क्षति अवधि में सुधार हुआ है।
- xvii. पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच करने से पहले घरेलू उद्योग को पर्याप्त सकारात्मक साक्ष्य देना चाहिए जिन पर संभावना निर्धारण आधारित होना है।
- xviii. मौजूदा ए डी डी ने अपना लक्षित प्रयोजन प्राप्त कर लिया है।
- xix. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एन आई पी काफी अधिक है और वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है।
- xx. जब समर्थक उत्पादकों ने वर्तमान जाँच में प्राधिकारी को संगत सूचना देने से मना कर दिया है, तो यह वर्तमान जाँच को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार है।
- xxi. चीन के लिए वर्तमान जाँच में चीन की कंपनियों के ब्यौरों को स्वीकार किए बिना पैरा 7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने से चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान शून्य हो जाएंगे अर्थात् जैसे कि अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधान कभी मौजूद ही नहीं थे।

xxii. कुईतुनजिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि० बनाम भारत संघ मामले में भारत को ताईवान से निर्यातों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु माननीय सेस्टेट के निर्णय के संबंध में, उस मामले के तथ्य और वर्तमान मामले के तथ्य अलग-अलग हैं तथा उस मामले में निर्धारित सेस्टेट के निर्णय को इस जाँच पर पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस मामले में माननीय सेस्टेट का निर्णय न्यू शिपर जाँच से संबंधित था और वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है।

xxiii. सहयोगी निर्यातकों ने इस जाँच में पर्याप्त सूचना प्रदान की है। अतः उनके लिए पाटन मार्जिन उनके सूचना के आधार पर निर्धारित किया जाए और इससे पता चलेगा कि कोई पाटन मार्जिन नहीं है और यदि इस मामले में ए डी डी को बढ़ाया नहीं जाता है तो पाटन की कोई संभावना नहीं है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

113. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जाँच की है जिनमें ऐसे दोहराव हैं जिनका इस अंतिम जाँच परिणाम के संगत पैराग्राफों में उपयुक्त रूप से परीक्षण और पर्याप्त रूप से समाधान पहले ही किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए मुद्दों की नीचे जाँच की गई है।

114. अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत आयातों के संदर्भ में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अग्रिम लाइसेंस के अधीन किए गए आयातों से घरेलू बाजार में कीमतों की बेंचमार्किंग प्रभावित होती है जबकि उनसे घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कतिपय स्थितियों में घरेलू उद्योग संभवतः मानद निर्यात बिक्रियों को करके इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा नहीं भी कर रहा हो, इसके अलावा, यह उन कीमतों का स्पष्ट प्रदर्शन है कि जिन पर उपायों की अनुपस्थिति में सामग्री की आयात की संभावना है। किसी अग्रिम लाइसेंस/प्राधिकार धारक के पास शुल्क मुक्त आधार पर निविष्टियों का आयात करने या अग्रिम रिलीज आदेश के तंत्र के प्रयोग द्वारा घरेलू स्रोत से उसकी खरीद करने का विकल्प होता है। इसके अलावा, अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयात उस कीमत के बेंचमार्क होते हैं जिस पर कर और शुल्कों के भुगतान के बाद उपभोक्ता द्वारा वस्तु का आयात किया जाता है। यह विचार करना उचित नहीं होगा कि अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित नहीं होती हैं।

115. जहां तक घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा से क्षति होने संबंधी तर्क का संबंध है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों के बीच स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा संगत पैराग्राफ में नोट किया गया है। भारतीय उत्पादकों के समग्र बाजार हिस्से में 2018-19 तक वृद्धि हुई और तत्पश्चात पी ओ आई में गिरावट आई। संबद्ध देश के बाजार हिस्से में 2018-19 तक गिरावट आई, परंतु पी ओ आई में पुनः वृद्धि हुई।

116. प्रौद्योगिकी में भारी बदलावों की मौजूदगी के संबंध में प्राधिकारी दोहराते हैं कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी ऐसे बदलावों की मौजूदगी के बारे में कोई साक्ष्य नहीं बताया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। उत्पादन लागत में अंतर के कारण लागत अंतर का कोई दावा नहीं है जैसा उक्त संगत पैराग्राफ में उल्लेख है। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन प्रौद्योगिकी या विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर घरेलू उत्पाद को असमान वस्तु नहीं बना देता है।

117. आंकड़ों के सत्यापन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का डेस्क सत्यापन किया गया है।

118. पैकिंग लागत में भारी अंतर को देखते हुए प्राधिकारी ने पी यू सी के खुले और पैकड रूप के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

119. कास्टिक सोडा की कीमतों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान निर्धारण पर उसके प्रभाव के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी तरह से प्राधिकारी ने पी ओ आई सहित क्षति अवधि के दौरान प्रचलित संगत तथ्यों पर विचार किया है।

120. विनिर्देशनों/मापदंडों में कथित अंतर के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों से या भारतीय ग्राहकों से कोई वास्तविक दावा प्राप्त नहीं हुआ है न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने कथित अंतर की मात्रा बतायी है।

121. घरेलू उद्योग आपूर्ति के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जैसा पहले बताया गया है। पी ओ आई के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई थी।

122. गोपनीयता संबंधी दलील का समाधान उक्त संगत पैराग्राफ में किया गया है।

123. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य की गणना संबंधी दलील पर विचार किया है और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य के रूप में भारत को चीनी ताईपेयी से कीमतों पर विचार करने संबंधी अपनी समुक्ति को दोहराया है। जैसा उक्त संगत पैराग्राफ में वर्णित है।

124. हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध के संबंध में कि नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय स्वीकार्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पहले की गई सभी जांचों में प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया रही है। एन आई पी निर्धारित करने के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग क्षति अवधि के लिए माना गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। पी यू सी के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति दी गई थी क्योंकि नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एन आई पी ज्ञात करने हेतु कर पूर्व लाभ का पालन किया जा रहा है।

ड. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति की पुनर्स्थापना हो सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि शुल्क लगाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

126. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से, संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित किए गए उत्पाद के कीमत के स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणास्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, खासतौर पर यदि पाटनरोधी शुल्क को घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक मात्रा तक सीमित किया जाता है तो पाटनरोधी उपाय से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से पाटन प्रक्रियाओं से प्राप्त अनुचित लाभों को दूर किया जा सकेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी।

ढ. निष्कर्ष

127. उपरोक्त जाँच परिणामों में किए गए उल्लेख के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष रखे गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपलब्ध कराए गए तथ्यों तथा पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :-

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है और शुल्कों को समाप्त होने की स्थिति में, आयातों के पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश होने की संभावना है।

ख. यद्यपि घरेलू उद्योग के निष्पादन में आधार वर्ष से 2018-19 तक सुधार हुआ है परंतु पी ओ आई के भीतर उसका कार्य निष्पादन खराब हुआ है और इस प्रकार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग कमजोर बना हुआ है।

ग. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को इस समय समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ण. सिफारिशें

128. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जाँच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित कर दिया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार

पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबंध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

129. इन परिस्थितियों में, वर्तमान जाँच अवधि के लिए परिकल्पित पाटन और क्षति मार्जिन के अनुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को उसे लागू करने की तारीख से पांच की वर्ष की आगामी अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझा जाता है। प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को नीचे तालिका में वर्णित रूप और पद्धति से जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार, प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में कॉलम 7 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर यथासंशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की आगामी अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2903 12	डाईक्लोरोमेथेन (मेथाईलीन क्लोराइड)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	शानडांग डांगयूइफ्लूओ-सिलिकॉन मटेरियल्स कं० लि०	15.20	मी. टन	यू एस डॉलर
2	2903 12	डाईक्लोरोमेथेन (मेथाईलीन क्लोराइड)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	निंगबो जुहुआ केमिकल एंड साइंस कं० लि०	30.40	मी. टन	यू एस डॉलर
3	2903 12	डाईक्लोरोमेथेन (मेथाईलीन क्लोराइड)	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	उक्त विनिर्दिष्ट संयोजनों से इतर कोई संयोजन	89.94	मी. टन	यू एस डॉलर
4	2903 12	डाईक्लोरोमेथेन (मेथाईलीन क्लोराइड)	चीन जन. गण. से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	89.94	मी. टन	यू एस डॉलर

130. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

त. आगे की प्रक्रिया

131. इन जाँच परिणामों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद इनके विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 20th January, 2021

Case No. AD-SSR-09/2020

Subject: Sunset Review Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Methylene Chloride” originating in or exported from China PR

F. No. 7/19/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’) received an application (also referred to “petition”) from M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd., TGV SRAAC Ltd (formerly known as Sree Rayalaseema Alkalies and Allied Chemicals Ltd.) and M/s Chemplast Sanmar Ltd. (hereinafter also referred to as the ‘Applicants’) requesting for the initiation of a Sunset Review (SSR) investigation of Anti-Dumping Duty (ADD) under the Act and the Rules on imports of ‘Methylene Chloride’, (hereinafter also referred to as ‘Subject Goods’ or ‘Product Under Consideration’ or ‘PUC’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “Subject Country”). The Applicants namely, M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd., TGV SRAAC Ltd and M/s Chemplast Sanmar Ltd. have provided the prescribed information in the Application.
2. The Authority had initiated the original investigation concerning imports of Methylene Chloride originating in or exported from China PR and Russia vide Notification No.14/33/2014-DGAD 7th April, 2015. The Authority vide Notification No. 14/33/2014-DGAD dated 30th October, 2015 notified the Preliminary Findings recommending provisional ADD. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification 14/33/2014-DGAD dated 30th March, 2016, recommending imposition of definitive duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Russia. Definitive ADD were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 21/2016-Customs (ADD) dated 31st May, 2016.
3. In terms of Section 9A (5) of the Act, ADD imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”
4. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the DI, as to whether the expiry of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
5. The Applicants jointly filed an application requesting initiation of SSR of ADD imposed earlier and seeking continuation of ADD against imports of Methylene Chloride from China PR. The request was based on the grounds that the expiry of the ADD would likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

6. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicants, issued a public notice vide Notification No. 7/19/2020-DGTR dated 31st August, 2020, published in the Gazette of India, initiating the sunset review investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of the ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.
7. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Central Government vide Notification No. 42/2020-Customs (ADD) dated 1st December, 2020 extended the Anti- dumping duties till 31st January, 2021 on China PR.
8. The Applicants have not sought extension of anti-dumping duties on imports of subject goods from Russia stating that there are no current exports from Russia and there is no evidence of likelihood of dumping and injury from Russia.

B. PROCEDURE

9. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings Notification No. 14/33/2014-DGAD dated 30th March, 2016 which had recommended the imposition of ADD on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.
10. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority vide Notification No. 7/19/2020-DGTR dated 31st August, 2020 published a public notice in the Gazette of India, extraordinary, initiating anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject country.
 - ii. A copy of the Notification dated 31st August, 2020 was forwarded by the Authority to all known exporters of the subject goods, the Government of the subject country through its Embassy in India, and other interested parties about the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of the subject country, through its Embassy, and to other interested parties who made a request in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Embassy of the subject Country in India was also requested to advise the exporters/producers from their Country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject Country
 - v. The Authority forwarded a copy of the Notification dated 31st August, 2020 initiating anti-dumping investigation to the known producers/exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file responses to questionnaires in the form and manner prescribed within time limit as mentioned in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules. Copies of the letter and the questionnaire sent to the exporters were also sent to the Embassy of the subject country along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
 - vi. The Authority, upon requests made by the interested parties, granted an extension of time to the interested parties to file their response as well as submissions. Vide communication dated 15th October, 2020, the time was extended up to 12th November, 2020.
 - vii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known producer/ exporter:
 - a. Arrow Chemical Group Corp;
 - b. Dalian Richfortune Chemical Company;

- c. Dongying Jinhao International Trade Co., Ltd;
 - d. Gce Chem (Qingdao) Co., Ltd;
 - e. Golden Credit Industrial Limited;
 - f. Guangzhou Ji Yi Import & Export Limited;
 - g. Guangzhou Jinhao Chemical Co., Ltd.;
 - h. Hangzhou Shengtai Chemical Company;
 - i. Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.;
 - j. Ningbo Juhua Chemicals & Science Co. Ltd.;
 - k. Polymet Commodities Ltd;
 - l. Qingdao Lasheng Co., Ltd;
 - m. Shandong Dongyue Flue-Silicon Material Co. Ltd.;
 - n. Shandong Jinhao Trading Co. Ltd.;
 - o. Shijiazhuang Saiya Chemical Co., Ltd;
 - p. Tianjin Yuanlong Chemical Industry Co., Ltd;
 - q. Zhejiang Juhua Co., Ltd;
 - r. Zhongtai Chemical Co Ltd;
 - s. Zibo Bnaisi Chemical Co., Ltd;
 - t. Zibo Nature International Trading Co., Ltd;
 - u. Zouping Changshan Zefeng Fertilizer Co., Ltd.
- viii. In response to the initiation of the subject investigation, the following exporters filed the exporter's questionnaire response:
- a. Shandong Dongyue Flue-Silicon Material Co. Ltd.;
 - b. Ningbo Juhua Chemicals & Science Co. Ltd.
- ix. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ users of subject Goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- a. Aurobindo Pharma Ltd;
 - b. Covalent Laboratories Ltd;
 - c. Dr. Reddy's Laboratories Ltd;
 - d. Harsh Kumar & Company;
 - e. Hetero Labs Ltd;
 - f. Ranbaxy Laboratories Ltd;
 - g. Vardhaman Trading Corporation;
 - h. Alembic Ltd;
 - i. Hindustan Chemicals Industries;
 - j. Indsol Drugs Ltd;
 - k. KDL Biotech Ltd;
 - l. Meghmani Organics Ltd;
 - m. Morpean LABS;

- n. Rails India Ltd;
- o. Ralchem Limited;
- p. Sun Pharmaceuticals Industries;
- q. Surya Medicare Ltd;
- r. United Phosphorus Ltd.
- x. In response to the above, the following importer and Association made legal submissions:
 - a. Sandeep Organics Private Limited;
 - b. Association of Chloromethanes Manufacturers.
- xi. The following parties have registered as supporters in response to the initiation notification:
 - a. Gujarat Alkalies and Chemicals Limited;
 - b. Meghmani Finochem Ltd;
 - c. SRF Limited.
- xii. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 2019 – March 2020 (12 months) and the injury investigation period is from 2016-17, 2017-18 and 2018-19 and POI.
- xiii. Transaction-wise imports data for the POI and the preceding three years were procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems and Data Management (DGS). The Authority has, relied upon data of DGCI&S and DGS data for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.
- xiv. Further information was sought from the Applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xv. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xvi. The Authority has examined the information furnished by the Domestic Industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price (NIP) of the subject goods in India so as to ascertain if ADD lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xvii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 11th September, 2020. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xviii. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this Final Findings.
- xix. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this Final Findings, to the extent possible and verified the data/documents submitted by the Domestic Industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xx. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 11th January, 2021 and the interested parties were allowed time up to 18th January, 2021 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.

- xxi. The information provided by interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xxii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the Final Findings on the basis of available facts.
- xxiii. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiv. The average exchange rate of US\$ 1 = Rs.71.65 prevailing during the POI has been adopted by the Authority.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions of the Domestic Industry

- 11. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the scope of the PUC and like article:
 - i. The PUC in the present application is the same as in the original investigation, i.e. 'Methylene Chloride', also known as Dichloromethane or Methyl Dichloride. The PUC is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 29031200.
 - ii. The present Application is for SSR investigation for continued imposition of ADD. The issue of like article has been examined by the Authority in the original investigation as well. Therefore, product imported from subject country is like article to product produced by the Domestic Industry.
 - iii. The subject goods are used for manufacturing of polycarbonate and phenolic resins; manufacturing of rayon yarn; general purpose solvent in chemical industries including pharmaceuticals, agro and fragrances; extractant for edible fats, cocoa, butter and essences; In aerosol propellant and refrigerant; fire frightening agent; chemical reaction media; paint and grease removing agent.

C.2. Submissions of other interested parties

- 12. The Submissions by the other interested parties is as follows:
 - i. GFL manufactures 99.5%. SRF & GACL manufactures 99.9% whereas China manufactures 99.2, 99.5 & 99.9%. Usage & Price varies as per Purity. Lower purity goes in agriculture & fertilizers.
 - ii. MDC comes under Bulk & Drummed packing. Price varies as per packing. Imports in Drum packing are negligible.

C.3. Examination by the Authority

- 13. The product under consideration in this investigation is Methylene Chloride, also known as Dichloromethane or Methyl Dichloride. The product under consideration defined in the original investigation is as follows:

"Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH₂Cl₂. It is a colorless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use but can burn if strongly heated. Methylene Chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic

resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences.

There are two technologies for production of Methylene Chloride – Methane route and Methanol route. The product produced through the two routes has essentially similar technical specifications. Methylene Chloride is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

14. The present investigation being a sunset review investigation, the PUC remains the same as defined in the previously conducted investigation.
15. The Applicants have submitted that there is no significant difference in the product produced by them and those exported from the subject country. Both products are comparable in terms of technical characteristics, their similar end uses, their technical and commercial substitutability and tariff classification.
16. The Authority in the original investigation had held that the products being manufactured by the Domestic Industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present Application is for review of the extension of original duty and since the PUC for the present and original investigation are the same, the Authority considers that the subject good produced by the Domestic Industry and the subject good imported from the subject country are “like article”.
17. Interested parties have argued that the applicants do not produce subject goods of purity 99.5%, It is seen from the information on record that the purity of the subject goods are produced and sold by the Domestic Industry with a purity of 99.9% and above. Moreover, the purity level does not make the products distinct. Further, the interested party has not provided any information to show that the price differs significantly in terms of purity of the product. There have been past investigations on subject goods and the Authority did not differentiate the products in terms of purity.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of the Domestic Industry

18. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to the scope of Domestic Industry and standing:
 - i. The Applicants hold a major proportion of the total domestic production of subject goods in India. The Applicants are neither related to an importer in India nor an exporter of the subject country. The Applicants have also not imported the PUC from the subject country. The Applicants, therefore, satisfy the requirement of standing and constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.
 - ii. The production figures of other Indian producers are based on market intelligence. To the best of the knowledge of the Applicants, the production figures of the other producers are representative and any deviation with actual figures will, in fact, reveal that their actual production is lower as the Applicants have considered a conservative estimate.
 - iii. There are three other producers of the PUC in India, namely, Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, SRF Ltd. and Meghmani whose estimated production based on market intelligence during the POI is 1,05,314 MT (50.95% of total Indian production).
 - iv. There is no mathematical formula of above 50% applicable for determination of a major proportion of domestic production for ascertaining ‘domestic industry’ status. The domestic producers who have filed the application accounting for 49% constitute a major proportion of Indian production. The applicant companies have provided information relating to injury and its likelihood.

D.2 Submissions of other interested parties

19. The following submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the scope of Domestic Industry and standing:
- The majority of the domestic producers (51% share) have not provided any information of injury or its likelihood. Information has only been provided for domestic producers with 49% share. Not providing such information will prevent reasonable conclusion and should result in termination of the present investigation.

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The present sunset review application has been jointly filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd., TGV SRAAC Ltd (formerly known as Sree Rayalaseema Alkalies and Allied Chemicals Ltd) and M/s Chemplast Sanmar Ltd. The Applicants have stated that they neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or an importer of the product under consideration in India. M/s SRF Ltd., M/s Gujarat Alkalies and Chemicals Limited and M/s Meghmani Finechem Ltd. have separately filed letters supporting the application. The Authority had sought information from these companies as prescribed, however, such information has not been made available. It is seen from the information on record that the production by the applicants constitutes a major proportion of the total domestic production of subject goods in India.
22. In view of the above and after due examination, the Authority holds that the Applicants constitute eligible Domestic Industry in terms of Rule 2 (b), and the Application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

E. CONFIDENTIALITY**E.1 Submissions of the Domestic Industry**

23. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to confidentiality:
- The responses filed by the interested parties are incomplete. Related companies involved in the production and sale of subject goods have not responded and the responses are liable to be rejected.
 - The exporters have not answered most of the questions in Questionnaire response II.
 - Third country information has not been provided stating that MET is not claimed and thus, such information is not relevant.
 - DGCI&S data is confidential data and therefore, cannot be circulated. The interested parties are free to collect transaction wise data from DGCI&S, if they so desire.
 - Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd. has not filed a questionnaire response for the related party and other information that is relevant for determination of likelihood of dumping and injury.
 - Excessive confidentiality has been claimed in the response filed by Shandong Dongyue Fluoro-Silicon Materials Co. The exporters have claimed the country's gross level of capacity, demand etc as confidential.
 - Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd. is a wholly owned subsidiary of Juhua Group Corporation, which is also a producer of MDC. The company has not responded.

- viii. Juhua Group's website shows that the company's methane chloride production capacity is 200,000 and the capacity of the Group reaches 440,000 metric tons/ year.
- ix. The Applicants have disclosed all the relevant information in the Application. The information in terms of volume parameters, such as production, sales, etc. has not been disclosed as the same is not in public domain. Disclosure of such highly business sensitive information, would be of significant competitive advantage to competitors and consumers and would seriously impact the interest of Applicants. The Applicants have, however, provided indexed information wherever possible.
- x. The Applicants have provided sufficient information justifying initiation of the investigation and has provided all information as required under the application proforma. As regards failure of evaluation of certain parameters in the write up, the Applicants submits that it is not necessary for the Applicants to evaluate all the parameters in the application. The Applicants are obliged to provide all relevant information, which it has done.
- xi. The Applicants have provided the data in indexed form in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018. Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.
- xii. The responding parties have omitted to provide various requisite crucial information.
- xiii. Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.

E.2. Submissions of other interested parties

24. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
- i. Domestic industry has claimed excessive confidentiality and various crucial information. The soft copy in excel file of transaction-wise and sorted import data, raw/original import data and list of excluded transactions from DGCIS have been kept confidential by the Domestic industry.
 - ii. The Domestic Industry has not provided information to the questionnaire in Part VI of the application proforma.
 - iii. Company-wise production details of the Applicant and other domestic producers have been kept as confidential.
 - iv. The Domestic Industry has not provided any evidence for the claimed adjustments from export price for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, inland transportation, commission and VAT adjustment.
 - v. Profit / loss and ROCE in percentage terms have been kept as confidential by the Domestic Industry.
 - vi. The Domestic Industry has made only generalised statements and no specific instances with regard to incomplete responses have been cited.
 - vii. With regard to the Domestic Industry's submission in which it has mentioned that the parent company Juhua Group Corporation has not responded, it is submitted that the understanding of the Domestic Industry is flawed.
 - viii. The contention of the Domestic Industry regarding capacity refers to Methane Chloride and Perchloroethylene of Juhua Group Corporation, and not for Methylene Chloride.
 - ix. The answer for the declaration of imports by each of the domestic producers is given in a very camouflaged manner and none of them have specified the period for their declaration for imports.

E.3. Examination by the Authority

25. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined.
26. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
27. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:
- “Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*
28. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of Domestic Industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
29. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
30. As regards disclosure of DGCI&S data, the Authority's Trade Notice No. 7/2018 dated 15th March, 2018, prescribes the procedure for collecting DGCI&S data for Domestic Industry as well as for other interested parties. The interested parties, thus, had access to procure DGCI&S data by following the procedure prescribed as per the Trade Notice and defend their interests. The Authority thus notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations, equitable and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**F.1 Submissions of the Domestic Industry**

31. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic Industry:
- i. The Domestic Industry has used trade remedy actions to prevent dumping from various sources and not merely as a protective tool.

- ii. Claims regarding lack of substantive evidence and insufficient factual and legal basis at this stage of investigation reflect nothing but an effort to derail completion of investigation within the stipulated timeline.
- iii. The declaration of no imports of the subject goods by the applicant companies has been made along with the application.
- iv. With regard to claims contrary to the published information, such wide claim can only be answered if specific claims along with conflicting published information is presented before the Authority and also shared with the Applicants.
- v. It is a settled practice of the Authority by way of past cases that unless all companies involved in either production or sale of the PUC respond, individual dumping margin shall not be granted.
- vi. The Applicants have supported the application with proper evidence. The application has evidence showing the vulnerable state of domestic industry. And parameters showing existence of likelihood of dumping and recurrence of injury of duties were to expire. Furthermore, Rule 5 of the Rules is not applicable at the stage of SSR. By the same principle, Article 5 of the WTO ADA is not applicable to SSR.

F.2 Submissions of the other interested parties

32. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
- i. The Domestic Industry has misused the trade remedy mechanism since 2000 to avail an undue advantage by blocking imports into India. The Authority should not encourage it.
 - ii. The claims by the Domestic Industry are contrary to the published information. The application is devoid of substantive evidence, sufficient legal and factual basis, and injury.
 - iii. The Applicants have nowhere in their declarations specified the period for imports.
 - iv. The Ningbo Juhua Group has clearly disclosed in their response that M/s Zhejiang Juhua Co., Ltd. Organic Fluorine Branch is a related manufacture and trader engaged in domestic sales. However, it did not export the PUC to India. Therefore, no response was submitted for this company.
 - v. There is not sufficient evidence of dumping, material injury, likelihood thereof and causation. The Authority failed to properly examine these as per Rule 5(3) and Article 5.3 of Anti-dumping Agreement to justify the initiation. Initiation of the investigation is largely based on estimates and assumptions.
 - a. In the United States – Softwood Lumber from Canada (DS-264) dispute it was held that ‘sufficient evidence’ shall be more than mere allegations and conjecture.
 - b. In Guatemala – Cement II (DS-156) it was held that an application satisfied under Article 5.2 does not demonstrate sufficient evidence to justify initiation under Article 5.3.
 - c. In Mexico – Steel Pipes and Tubes (DS-331) it was held that even if evidence is sufficient in the application, it cannot be indicated that the Authority examined and determined it to be sufficient as per Article 5.3.

F.3 Examination by the Authority

33. The Authority has noted all the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.
- i. With regard to the issue of various trade investigation conducted on subject goods raised by the interested parties, the Authority notes that each investigation is conducted independently and the recommendation for imposition and extension of ADD is made only when the requisite legal requirements are met and is based on its merits.

- ii. With regard to the contention that the application by the Domestic Industry is devoid of substantive evidence, sufficient legal and factual basis, the Authority observes that the assertion so made is not substantiated. The Authority had initiated the investigations after being fully satisfied that the evidence presented by the Domestic Industry was sufficient to justify initiation of investigation. The Authority also satisfied itself about the accuracy and the adequacy of the data/information which was necessary to initiate investigations in terms of Rule 5. Therefore, the Authority does not find any merit in the submission made by the interested parties.
- iii. As regards, the declaration of imports of the subject goods by the applicant companies, the Authority notes that the Application states that no imports were made by applicant companies during the entire injury period.
- iv. With regard to the contention about individual dumping margins, the Authority has arrived at individual dumping margins only after being satisfied about the completeness of the channel for the responding exporters.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Normal Value

34. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1. Submissions of the Domestic Industry

35. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. China should be treated as non-market economy and normal value should be determined in terms of para 7 of Annexure I to the Rules.
- ii. Paragraph 1 to 6 Annexure I of the Rules do not apply for computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, normal value for China PR has to be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I of the Rules. Para 7 of Annexure I of the Rules provides that the calculation of the normal value in a non-market economy may be determined on the following basis:
 - a. The price in a market economy third country;
 - b. Constructed cost in a market economy third country;

- c. The price from such a third country to other Country, including India;
- d. The price actually paid in India, adjusted to include a reasonable amount of profit.
- iii. The Applicants have determined normal value on the basis of the price from market economy third country to other countries, including India. The Applicants have considered price from Taiwan to India. Taiwan is a major exporter of the product under consideration.
- iv. The Hon'ble CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India has held that level of development would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from surrogate country to third country or India is considered as the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country.
- v. European Commission has considered Chinese Taipei as a surrogate country for China PR in investigations such as (i) Polyvinyl alcohol (PVA) originating in the People's Republic of China, (ii) certain stainless steel fasteners and parts thereof from China.

G.2. Submissions of other interested parties

36. The other interested parties has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:
- i. The claim of dumping made by the Domestic Industry on the basis of normal value determined based on third country exports by Taiwan is inappropriate and unreasonable.
 - ii. The determination of normal value for the subject country by the Domestic Industry in the current investigation is not in accordance with the legal provisions.
 - iii. The selection of Taiwan as market economy third country for the determination of normal value is inappropriate.
 - iv. The normal value can be determined only for exports to all countries.
 - v. The normal value for the companies from the subject country is required to be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods from their records.
 - vi. The Domestic Industry is changing their claim for normal value every now and then, the current investigation may therefore be terminated.
 - vii. The Authority is requested to determine the normal value by following its consistent practice of constructing normal value on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer.
 - viii. It is reiterated that the period of 15 years for disregarding the domestic prices or costs of Chinese producers not being on market economy conditions as provided in para 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of the People's Republic of China to WTO, has expired on 11th December 2016 in terms of para 15(d) and has become non-operational. Therefore, the normal value for the companies from China PR in the current investigation is required to be determined on the basis of their domestic sales and the cost of the subject goods from their records. Thus, there is no merit in the submissions of the domestic industry for claiming and filing response for MET.

G.3. Examination by the Authority

Normal Value for China PR

Market Economy status for Chinese producers

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

“a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

38. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since none of the responding producer/exporter from China have submitted supplementary questionnaire response, normal value computation is required to be done as per provision of para 7 of Annexure I of the Rules.
39. Accordingly, the normal value and export price for all the producers/exporters from China PR have been determined as below.

G.4. Determination of Normal Value

40. The Authority notes that the M/s. Shandong Dongyue Flu-Silicon materials Co., Ltd. (producer) and M/s. Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd. (producer) from China PR have filed exporter questionnaire response but have not filed the supplementary questionnaire to claim Market Economy Status.
41. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other Country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the

normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.

42. The Applicants provided Chinese Taipei customs data which shows that Chinese Taipei has made significant exports of subject goods to Vietnam and India throughout the injury period. The domestic industry has proposed Chinese Taipei as a market economy third country for China. The Authority invited comments from interested parties in accordance with para 7 of Annexure I about appropriateness of considering price from Chinese Taipei to India for determination of normal value claimed for China.
43. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in case of a non-market economy contained in the Supreme Court judgement in M/s Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs M/s Exide Industries Ltd. (Civil Appeal No. 6371/2003 dated 23/2/2005), Guwahati High Court in M/s Century Plyboards (I) Ltd & Anr.-vs- Union of India & Anr. (W.P No. 6568/2017 dated 4/10/2018) and CESTAT, Principal Bench, New Delhi in M/s Apollo Tyres Ltd. vs Union of India (Appeal No. C/768, 600, 601, 773, 769/2005-AD-dated 9/9/2005), Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India (Appeal no. 52291 of 2019 dated 5th August 2020). These judgements provide directions regarding implementation of para 7 of annexure 1 to AD rules with respect to choice of an appropriate option, and associated obligations thereof. Further, as regard the argument raised by one of the exporter in its written submissions stating that Chinese Taipei is a developed country as compared to China PR, it is noted that the Hon'ble CESTAT in the matter of Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India has held that level of development would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from market economy third country to India is considered for determination of normal value. The Hon'ble Tribunal considered that the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country.
44. In view of the above, the Authority considers prices from Chinese Taipei to India as normal value for subject goods from China PR. Chinese Taipei being a non subject country with no investigation of Anti dumping underway or AD measure in force and with import volume from Chinese Taipei being quite significant, the Authority notes that this option of para 7 to construct the normal value of subject goods is appropriate and is representative of normal value of the subject goods. Separate normal value has been determined for loose and packed form of the product in view of significant difference in packing costs.

G.5. Determination of Export price

G.5.1 Export Price for Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co. Ltd., China (Producer)

45. Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co., Ltd. is a producer and exporter, a limited liability company incorporated under the Chinese law. Dongyue Fluo-Silicon is 100% owned by Dongyue Group Limited. Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co. Ltd., has reported export of the subject goods to India during the POI. The goods have been sold directly to customers in India. The sales to Indian customers are on CIF basis. The company has exported *** MT of subject goods to India during the POI. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland freight, port charges and handling expenses, credit cost, bank charges and non-refundable VAT. Accordingly, the net export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

G.5.2 Export Price for Ningbo Juhua Chemical & Science Co. Ltd., China (Producer)

46. During the POI, M/s Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd., China has exported *** MT of the subject goods. All the exports made by the company are on CIF basis to unrelated customers in India. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, overseas insurance, inland transportation, port handling expenses and bank charges for the determination of ex-factory export price. The adjustment for non-refundable portion of the VAT is also made. The weighted average ex-factory value of subject goods exported by M/s Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd., China has been determined after the aforesaid adjustments. The export price has been determined for

packed form of the product. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below

G.5.3 Export price in case of non-cooperative producers and exporters from China PR

47. In view of the non-cooperation of other exporters in this investigation, the export price for other exporters has been determined considering the export price of the cooperating exporter from China, during the POI as per best facts available. Price adjustments have been considered towards overseas transportation, Inland transportation, bank charges, insurance, credit cost and VAT to arrive at ex-factory export price. Separate export price has been determined for loose and packed form of the product in view of significant difference in packing costs. Accordingly, the average export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin Table below.

Dumping margin

48. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act.

Dumping Margin Table

Particulars	Unit	Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co., Ltd.	Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd.	Others
Normal Value	US\$/MT	***	***	***
Net Export Price	US\$/MT	***	***	***
Dumping Margin	US\$/MT	***	***	***
	%	***	***	***
	% Range	30-40	30-40	50-60

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

49. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
50. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18,19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a sunset review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
51. The Authority notes that the application for continuation of ADD has been jointly filed by M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd., TGV SRAAC Ltd (formerly known as Sree Rayalaseema Alkalies and Allied Chemicals Ltd) and M/s Chemplast Sanmar Ltd. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicants have been treated as the Domestic Industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of injury determination the cost and injury information of the Applicants have been examined.

H.1. Submissions of the Domestic Industry

52. The Domestic Industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:

- i. The imports from China increased in 2017-18 then declined in 2018-19 and significantly increased again in the POI.
- ii. In contrast to the original investigation, there is no demand-supply gap in the country now and thus imports not necessary.
- iii. Import prices from China increased till 2018-19 and the volumes declined, whereas, import prices declined in the POI and the import volume increased.
- iv. The landed price of imports were below the selling price of the Domestic Industry and thus, likely to undercut the prices of the Domestic Industry if the duties were to expire.
- v. In the event of expiry of ADD, dumped imports are likely to intensify significantly leading to price suppression/depression.
- vi. The overall performance of the Domestic Industry has declined within the POI in terms of profits, return on investments and cash profit.
- vii. Current imports from China have positive dumping and injury margins.
- viii. The imports from other countries were not at dumped prices and were in fact at much higher prices than Chinese imports.
- ix. An improvement in the performance of the Domestic Industry itself indicates the positive impact of ADD. The relevant consideration in the present investigation is consequence of cessation of ADD on the subject imports from China PR. The Domestic Industry has not claimed continued injury.
- x. The likelihood of dumping and consequent recurrence of injury has been established in detail in the application and written submission filed by the Domestic Industry.
- xi. The difference between import price from China and cost of production of the Domestic Industry declined very significantly and steeply, to such an extent that the Domestic Industry was reduced to meagre profits in Q4. The selling price of the Domestic Industry also declined steeply.
- xii. There are a number of investigations wherein the Authority has extended ADD despite resultant financial growth of the industry. Most prominent is PVC suspension resin. The facts and circumstances of each investigation are not same. Moreover, the special situation arising for a particular industry may not be same for the other industry. In the present instance, the subject good has a history of dumping, as also admitted by the responding parties. The Domestic Industry is in vulnerable state. Further, the subject good is a price sensitive good and imports at dumped price has huge potential to take away market share of the Domestic Industry and cause injury in terms with various economic parameters.
- xiii. The continuation of ADD is very much required in light of increased imports in the POI and also in the quarters post-POI.
- xiv. The Applicants have not claimed continued injury.
- xv. The claims regarding likelihood and dumped imports from subject country are likely to significantly increase and cause injury thereafter are based on evidence put on record in Application for initiation as well in the written submission filed and shared with all the interested parties on 14th December, 2020. These are not mere allegations or conjectures.

H.2. Submissions of other interested parties

53. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - i. Imports from other countries increased significantly, which might have caused injury to the Domestic Industry.
 - ii. Import Price does not impact price behaviour of the Domestic Industry as landed value of imports is far more than the net sales realization of the Domestic Industry.

- iii. All economic parameters during the entire injury period and the POI remained positive except for some, therefore, the purported injury to the Domestic Industry cannot be attributed to imports from China PR.
- iv. During the review period, revenue from operations grew by 33% due to healthy demand, the Company's EBITDA grew by 37%, Profit after Tax (PAT) grew by 162%, book value of one share reached Rs. 336.13 and market value reached Rs. 600 despite COVID-19.
- v. Rule 5 of the Rules is not applicable at the stage of SSR. By the same principle, Article 5 of the WTO ADA is not applicable to SSR.
- vi. In case of *Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers* (Para 132) from China PR (Case No. : 6/26/2020-DGTR), the Authority in its Final Findings dated 20/04/2018, opined that even though Normal Value is less but financial growth and health of the Domestic Industry is sound enough, therefore, imposition of ADD is no more required.

H.3. Examination by the Authority

54. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure- II of the Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
55. According to Section 9(A)(5) of the Act, ADD imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.
56. With regard to various WTO judgements cited by the other interested parties, it is noted that the sunset review has been initiated only after duly substantiated application filed by the domestic industry, which demonstrated sufficient evidence to justify initiation.
57. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the Domestic Industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
58. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1 Volume effect of dumped imports on Domestic Industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

59. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales if Indian Producers and imports from all sources:

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Demand in India					
Sales of the Applicant	MT	89,591	97,738	1,00,805	99,988
Sales of Other Indian producers	MT	39,926	38,709	69,890	97,339
Subject Country	MT	40,847	41,454	37,051	47,581
Countries attracting ADD	MT	22,290	14,434	12,691	15,616
Import from Other Countries	MT	13,866	17,004	14,881	19,587
Total Demand	MT	2,06,520	2,09,339	2,35,318	2,80,111

60. It is seen that the demand for the subject goods has increased throughout the injury period.

b. Import Volumes and Share of Subject Country

61. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force.

62. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods and share of the dumped imports during injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Imports from subject country	MT	40,847	41,454	37,051	47,581
Trend	Indexed	100	102	91	117
Imports from Country attracting ADD	MT	22,290	14,434	12,691	15,616
Trend	Indexed	100	65	57	70
Imports from other Country	MT	13,866	17,004	14,881	19,587
Trend	Indexed	100	123	127	141
Total Imports	MT	77,003	72,893	64,623	82,784
Trend	Indexed	100	95	84	108
Subject country imports in relation to total imports	%	53.05	56.87	57.33	57.48
Trend	Indexed	100	107	108	108
Total Indian Production	MT	1,33,572	1,39,290	1,77,897	2,06,684
Trend	Indexed	100	104	133	155
Imports from subject country relative to production	%	30.58	29.76	20.83	23.02
Trend	Indexed	100	97	68	75
Demand	MT	2,06,520	2,09,339	2,35,318	2,80,111
Trend	Indexed	100	101	114	136
Imports from subject country relative to demand in India	%	19.78	19.80	15.75	16.99
Trend	Indexed	100	100	80	86

63. It is noted that:

- Imports from China PR declined to 37,051 MT in 2018-19 from 40,847 MT in 2016-17. Imports have thereafter increased significantly to 47,581 MT during POI. Overall, there is an increase of imports from subject country during the investigation period.
- Imports from China PR in relation to consumption and production also declined in 2018-19 and increased thereafter in the POI.

I. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS

64. In term of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

i. Price undercutting

65. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the

subject country and the average selling price of the Domestic Industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the Domestic Industry were determined at ex-factory level.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Landed Price	Rs/MT	29,543	35,601	48,775	41,546
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	146	120
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	% Range	15-25	10-20	5-15	0-10

66. It is seen that the landed price of the imports from the subject country is below the selling price of the Domestic Industry. The imports from the subject countries are likely to undercut the prices of the Domestic Industry in the event of cessation of ADD.

ii. **Price suppression and depression**

67. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period have been examined below.

Particular	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	114	100
Net Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	146	120
Landed price	Rs./MT	29,543	35,601	48,775	41,546
Trend	Indexed	100	121	165	141

68. It is noted that during the injury period, the selling price of the domestic like product increased more than increase in cost of sales. However, it is seen that while the landed price of imports and selling price increased more than cost of sales till 2018-19, in the POI, it is seen that the decline in landed price of imports and selling price of the Domestic Industry during the POI was far more than the decline in its cost of sales. Therefore, the Authority notes that the imports from the subject country are suppressing the prices of the Domestic Industry in the POI.
69. The Authority further examined the trends in selling price and landed price of imports within the POI. It is seen that the import price declined continuously and steeply within the POI, leading to decline in the selling price of the domestic industry.

Parameters	Unit	Q1	Q2	Q3	Q4
Landed price of imports	Rs/MT	44,337	42,837	40,515	37,159
Trend	Indexed	100	97	91	84
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	88	78

I.1 Economic Parameters of the Domestic Industry

70. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the Domestic Industry are discussed below.
71. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volume

72. The capacity, production, sales and capacity utilisation of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity – Plant	MT	1,78,950	1,78,950	1,78,950	1,78,950
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production - Plant	MT	1,60,765	1,67,954	1,68,299	1,72,390
Trend	Indexed	100	104	105	107
Capacity Utilization	%	90%	94%	94%	96%
Trend	Indexed	100	104	105	107
Production - PUC	MT	91,848	95,686	1,00,578	1,01,370
Trend	Indexed	100	104	110	110
Domestic sales volume	MT	89,591	97,738	1,00,805	99,988
Trend	Indexed	100	109	113	112

73. It is seen that:

- The installed capacity of the Domestic Industry has remained constant throughout the injury period.
- The production and capacity utilization of the Domestic Industry increased throughout the injury period.
- The domestic sales increased till 2018-19 and marginally declined in the POI. While the demand increased significantly in the POI, the sales of the Domestic Industry have shown decline and imports have increased significantly. Further, imports increased and Domestic Industry's sales volumes declined despite reducing gap between the price of the domestic and imported product.

ii. Market Share in Demand

74. The market share of the Domestic Industry is shown in the table below:

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Share of Applicant	%	43.38	46.69	42.84	35.70
Share of Other Producers	%	19.33	18.49	29.70	34.75
Subject Country	%	19.78	19.80	15.75	16.99

Countries attracting ADD	%	10.79	6.90	5.39	5.57
Import from Other Countries	%	6.71	8.12	6.32	6.99
Total	%	100	100	100	100

75. It is seen that the market share of the Domestic Industry declined over the injury period as a consequence of a new producer entering the domestic market. However, the market share of Indian producers as a whole increased till 2018-19 and declined thereafter in the POI. The market share of the subject country has declined till 2018-19 but increased again in the POI.

iii. Inventories

76. It is seen that the inventories with the Domestic Industry declined till 2018-19 and increased marginally in the POI.

Stock	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	176	66	32
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	38	19	39
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	36	36

iv. Profitability, Cash Profits and Return on Capital Employed

77. Profitability, cash profits and return on investment of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/ (Loss)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	165	1,197	773
Profit/ (Loss)	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	180	1,347	863
PBIT	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	672	457
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	127	587	396
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	707	491

78. It is seen that:

- The profitability of the Domestic Industry improved until 2018-19. However, the profitability declined significantly in the POI as compared to the previous year.
- Cash profits, PBIT and Return on Capital Employed (ROCE) show the same trend as that of profitability.
- The profitability was quite low upto 2017-18, leading to a low ROCE and cash profits upto 2017-18. Profitability improved in 2018-19.

Quarter-wise analysis of profitability within the POI

Particulars	UOM	POI – Q1	POI – Q2	POI – Q3	POI – Q4
Profit/Loss	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	148	89	25
Profit/Loss	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	149	90	25
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	143	92	34
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	144	91	33

- i. The overall performance of the Domestic Industry in terms of profit, cash flow ROI has shown deterioration within the POI.
- ii. The Authority further examined the trend of quarterly profitability of the Domestic Industry within the POI. On quarterly basis, it is seen that the profitability has declined significantly within the POI. The PBIT and cash profits have also declined on a quarterly basis. ROI has also been declined during the 4th quarter of POI substantially.

v. Employment, Wages and Productivity

79. Employment, wages and productivity of the Domestic Industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
No. Of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	110	111
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	110	110
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	133	143	128

80. It is seen that:

- i. The wages paid have increased upto 2018-19 and declined in the POI.
- ii. The number of employees remained almost the same during the injury period.
- iii. The productivity per day has increased throughout the injury period.

vi. Growth

81. The data relating to growth of the Domestic Industry is shown in the following table:

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI
Production (PUC)	%	4	5	1
Domestic Sales (PUC)	%	9	3	(1)
Domestic Profit (Rs./MT)	%	65	625	(35)

Domestic profit (Rs Lacs)	%	80	648	(36)
Cash Profit (Rs Lacs)	%	27	362	(33)
PBIT (Rs Lacs)	%	21	455	(32)
ROCE	%	25	464	(31)

82. It is seen that the growth of the Domestic Industry was positive in respect of volume parameters (barring sales volumes). In respect of price parameters, growth was significantly positive upto 2018-19 and became negative in the POI.

vii. Magnitude of Dumping

83. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the POI.

viii. Ability to raise capital investment

84. It is seen that the profitability of the Domestic Industry has declined in the POI. It is noted that the ability to raise capital investments is likely to be affected in the event of cessation of the existing ADD.

ix. Factors Affecting Domestic Prices

85. It is noted that the landed value of the subject goods from subject country is below its net selling price during the POI. Further, the landed prices of subject imports have suppressed the prices of the Domestic Industry leading to a decline in profitability during the POI. Dumped imports from the subject country are impacting the prices of the product in the market in the POI.

x. Magnitude of price underselling/injury margin

86. The Authority has determined the NIP for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practising accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
87. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Injury Margin Table

Particulars	Unit	Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co., Ltd.	Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd.	Others
Non Injurious Price	US\$/MT	***	***	***
Landed Price	US\$/MT	***	***	***
Injury Margin	US\$/MT	***	***	***
	%	***	***	***
	% Range	0-10	0-10	10-20

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

88. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the Domestic Industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

a) Volume and price of imports from third Country

89. It is seen that the imports from other countries are either attracting ADD or are at higher prices.

b) Contraction in demand

90. The Authority notes that demand of the PUC has increased throughout the injury period.

c) Change in pattern of consumption

91. There have been no material change in the pattern of consumption of the PUC. Hence, changes in pattern of consumption have not caused injury to the Domestic Industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

92. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the Domestic Industry.

e) Development in technology

93. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.

f) Export Performance of the domestic industry

94. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performances is not the cause for the injury to the Domestic Industry.

g) Performance of other products

95. The Domestic Industry has provided the injury data of PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the Domestic Industry.

Conclusion on continuation of injury and causal link

96. The examination of the imports of the subject goods, and the performance of the domestic industry with regard to domestic like product shows that the volume of dumped imports of subject goods from subject country has increased in absolute terms during the injury period. The volume of dumped imports has also increased in relation to Indian production, and demand in the POI as compared to the preceding year. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry. It is also noted that the selling price of domestic like product increased more than increase in cost of sales till 2018-19. However, the selling price declined much beyond the decline in cost of sales in the POI, and landed price of subject imports was lower than the selling price of the domestic industry during the period of investigation. With regard to impact of price effect on the domestic industry, it is noted that the production and capacity utilization have increased throughout the injury period, however sales and market share of the domestic industry and industry as a whole increased till 2018-19 and then declined in the POI. Profits, cash profits and return on capital employed increased till 2018-19, and declined in the POI. It is also noted that that the profits, cash profits and ROI has shown significant deterioration within the POI.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**K.1 Submissions of the Domestic Industry**

97. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:

- i. There is a clear likelihood of the continued dumping being further intensified by exporters from China PR leading to a situation of further intensified injury to the domestic industry, if the existing duty is withdrawn.
- ii. Imports are coming at dumped and injurious price. The prices of subject goods from subject country have further reduced by around 20% in the POI. Thus, cessation of duties is likely to lead to intensified dumping and consequent injury to the domestic industry. The dumping margin and injury margin is positive. Further injury margin has intensified on quarterly basis within the POI.
- iii. The Chinese producers have excessive production capacities. In 2016, the production capacity was 1.83 million tons, which by 2019 increased to almost 2.06 million tons. The consumption has not increased with the same pace resulting in huge spare capacity and decline in operation rates. Such increase will be diverted to Indian market if the duties were to expire.
- iv. The demand for the subject goods in China is 9,18,000 tons only, as against 20,60,000 MT capacity. The Chinese producers are faced with surplus capacity of 11,42,000 MT, i.e., around 55% of the Chinese capacity is in excess of domestic demand. The entire domestic demand in India is only around 295,286 MT.
- v. The environmental protection policies have resulted in Chinese industry facing low or even negative growth. Further, this situation is likely to worsen in light of COVID-19 pandemic.
- vi. The inventories in China have seen negative growth because the production of weak demand being faced by the Chinese producers. Thus, the Chinese producers are withholding production. Further, inventories in true sense does not reflect the excess capacities with the Chinese producers.
- vii. Chinese producers are heavily export oriented and some of the companies are set up only for the purpose of exports. India is one of their major targets for exports.
- viii. The Indian industry has been a sensitive industry and there has been dumping of the subject goods from various Country, India is one of an important export market for Chinese producers. Exports to India constitutes around 28% of gross Chinese exports in the proposed POI.

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI
China Exports to India	40,847	41,454	37,051	49,357
China Global exports	1,36,578	1,51,125	1,42,311	173,513
Share of India in global exports	36%	28%	27%	28%
India's ranking in export destination	1	1	1	1

Source: Trade map (Custom data)

- ix. Imports from China have increased significantly despite duty being in force, in view of excess capacity available with them. If the ADD ceases to exist, the Chinese exports are likely to surge.

Period	China-MT
2010-11	5,384
2011-12	16,084
2012-13	334
2013-14	4,794

Period	China-MT
2014-15	25,285
2015-16	69,038
2016-17	40,847
2017-18	41,454
2018-19	37,008
POI	47,581

- x. The Domestic Industry's profitability started declining from 2011-12 and was incurring losses till 2013-14. The industry's performance improved in 2014-15, however the same again declined and the Authority concluded continued injury in the SSR investigation conducted on imports from EU, USA and Korea which considered Jan 2017-Dec 2017 as the POI of the SSR Investigation.
- xi. It is only in 2018-19 that the Domestic Industry started making reasonable profits. Further, such improvement was short lived as the profitability and consequently ROI has once again declined in the POI from Rs 12,466 /MT in Q1 of 2019-20 to Rs 1,813/MT in Q4 of 2019-20.
- xii. China is exporting the subject goods at dumped and injurious prices, not only to India but to all over the world. Chinese exports to various Country globally have been analysed on quarterly basis for the POI on the basis of China customs data. It may be seen that total volume of exports from China to various countries globally other than India during the POI was 124,156 MT, and 121,851 MT (i.e. 98%) were made at dumped prices and total 31, 962 MT were made at injurious prices, which is 26% of the total exports of China to third Country. Further, quarter-wise data shows that the share of injurious exports to third Country has increased significantly within the POI. It will be seen that share of injurious exports has increased from 19.43% in Q1 to 73.32% in the fourth quarter.

Exports other than to India	Volume (MT)	Volume having positive dumping margin	Volume having positive Injury margin	Percentage of injurious exports
	124,156	121,851	31,962	
Q1	34,070	33,882	6,619	19.43
Q2	36,512	34,510	4,264	11.68
Q3	36,415	36,300	8,498	23.34
Q4	17,159	17,159	12,582	73.32

- xiii. The product has a long history of continued and renewed dumping in the Country. First AD measures were imposed in 2003. AD duties were imposed on EU, Korea and USA led to decline in imports from these Country and increase in dumped imports from China. Thus, the subject goods is a price sensitive product and producers globally are faced with significant surpluses and have resorted to dumping the product in various market. The Chinese producers are waiting for an opportunity to divert their exports to price attractive destinations.
- xiv. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. The landed price of imports were materially below the selling price of the domestic industry. Such being the case, availability of such low priced imports from China in the market will definitely lead to suppressing/ depressing effect on the prices in the market.
- xv. The Applicants have considered 'excess capacity' on the basis of production and capacity and its comparison with Chinese domestic demand. Difference between capacity and domestic

demand is surplus capacity. Increased dumped imports in the POI and in post-POI period itself indicates likelihood of diversion of such excess capacity to India. Further Chinese exports behaviour to third countries also indicates likelihood of trade diversion to the Indian market. India has been their most favourite destination.

K.2 Submissions of other interested parties

98. The following submissions have been made by other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury:
- The Applicants have wrongly construed 'excess capacity' on the basis of capacity minus production and further it has no basis that such excess capacity shall be diverted to India in case of withdrawal of duties. Such diversion can only be indicated on the basis of relevant information.
 - India is not a price attractive destination for Chinese imports as Chinese imports into India is cheaper than other countries.

K.3 Examination by the Authority

99. All the factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry and other interested parties, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping and or injury.
100. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure – II (vii) of the Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The present investigation is a sunset review of ADD earlier imposed on the imports of subject goods from China PR and Russia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of ADD is warranted.

i. Continued and existing dumping and injury

101. The Authority notes that the imports of the PUC from the subject country have increased significantly in the POI. Imports are highest in the POI. Further, the dumping margin determined for the POI is positive, thus, there is a continuation of dumping of subject goods from subject country. It is also seen that without adding the ADD, these imports are undercutting the Domestic Industry's prices, thus a cessation of ADD is likely see positive undercutting.

ii. Imports over the present injury period

102. While imports from China declined in 2018-19 from earlier years, imports increased significantly in the POI, in absolute term, and also in relation to production and consumption in India. The present increase in imports is in a situation where the product is attracting ADD.

iii. Surplus capacities in Subject Country

103. On the basis of information on record, it is seen that the exporters in China have surplus capacities to the extent of 400%.

Particulars	Unit	2016	2019
Capacity	MT	18,30,000	20,60,000
Actual production	MT	9,74,000	10,92,000
Domestic demand	MT	8,39,000	9,18,000
Surplus capacity	MT	9,91,000	11,42,000
Indian demand	MT	2,06,520	2,80,111
Surplus capacity as % of Indian demand	%	480	408

Source: Market Research report for Methylene Chloride

iv. Declining present and potential growth in Chinese domestic demand

104. Information procured by the Domestic Industry shows that the environmental protection policies have resulted in Chinese industry facing low growth in demand whereas the growth in demand in India is positive and healthy. It is thus indicative that the producers in the subject country are going to face the issue of surplus capacity even in future and with positive demand in India, the producers would be aggressively looking forward to the Indian market.

Particulars	Unit	2016	2019	2023 (estimated)
China				
Consumption	MT	839,000	918,000	999,000
Growth	%	3.0%	2.7%	2.3%
India		2016-17	2019-20	
Consumption	MT	208,318	288,086	
Growth	%		38%	

Source: Market Research report for Methylene Chloride

v. High export orientation of exporters in China

105. On the basis of information on record, the Authority notes that the exporters are highly export oriented and surplus capacity can be diverted to India in the event of cessation of ADD.

Particulars	Unit	2016	2019
Actual production	MT	9,74,000	10,92,000
Domestic demand	MT	8,39,000	9,18,000
Global exports (Annualised)*	MT	1,36,578	2,64,332
Number of countries to whom China exports	Nos		87
Exports as % of Production	%	14	24
Exports as % of Domestic demand	%	16	29
Exports to India	MT	40,847	47,581
Exports to India as % of global exports	%	30%	18%

* Source: Trademap

vi. Price Undercutting and Attractiveness of India as a Market

106. It is noted that price undercutting is positive during the POI, and thus, cessation of ADD currently in place is likely to lead to intensified dumping and which are likely to lead to injury in the form of low volume of sales, reduced selling price and decline in profits to the Domestic Industry.
107. The Applicant has claimed that considering the price undercutting, if the Indian producers reduce the prices by the amount of undercutting (in the event of cessation of ADD), the Indian producers will suffer further decline in profits, cash flow and return on investment.

vii. India is a major market for China

108. Information relating to exports from China to various countries globally, as per China customs data, shows that India has been one of the major market for Chinese producers. Exports to India constitute around 28% of gross Chinese exports in the POI.

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Exports to India	40,847	41,454	37,051	49,357
Global exports	1,36,578	1,51,125	1,42,311	173,513

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Share of India in global exports	36%	28%	27%	28.44%
India's ranking in export destination	1	1	1	1

Source: Trade map (Custom data)

Third country dumping

109. The Domestic Industry has provided information relating to Chinese exports to various countries globally. The Domestic Industry has compared the export volume with the normal value, on quarterly basis. Further, these figures have been compared with the computed NIP. It is seen that almost entirety of exports to third country are made at dumped price and 26% of exports are made at injurious price. Further, the share of injurious exports increased to 73% during the Q4. Thus, the exports from third country to India is likely to increase at dumped and injurious price causing injury to the Domestic Industry.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

110. Post-disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties, including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

L.1. Submissions of the Domestic Industry

111. The following submissions have been made by the Domestic Industry on the Disclosure Statement:

- i. Assuming that the major part of imports is made under advance license, it does not mean that (a) the same cannot cause injury to the Domestic Industry, (b) it is not relevant to the likelihood determination. When the exports are under Advance Authorisation Scheme, the export price may be higher than what it would be when there would be full customs duty, but no ADD. Dumping would increase in the event of cessation of ADD and when the Chinese compete in the duty paid market segment.
- ii. There is fair competition between the Indian producers in Indian market. ADD has provided a level playing field to the domestic producers and has made it possible for new producers, like Meghmani, to enter the market. There is no injury to the domestic industry due to inter se competition.
- iii. The product produced by the Domestic Industry is like article to the PUC. There can be different manufacturing process for the subject goods but that does not render the subject goods distinct.
- iv. The product produced by the Domestic Industry, NVR (Non-volatile residue), Trans 1-2 Dichloroethylene & Stabilizer are all below 20-25 ppm (parts per million) and it does not impact the usage parameter in any way because the presence of these are very low/negligible. MDC is supplied to USFDA approved Pharma plants by the Domestic Industry all across the country and, thus, the quality of the product is well established.
- v. Drum packing is preferred in storage.
- vi. There is no co-relation or direct relation between Caustic soda prices and MDC prices as contended by interested party. Both the products are driven by market dynamics related to their respective product, market, customer segment and demand/supply situation.
- vii. The plant was closed only for a week in the end of the POI (March, 2020), however the capacity utilisation of the company was infact the highest in the POI.
- viii. All the parameters collectively and cumulatively establish that the Domestic Industry was able to improve its performance in view of ADD in force. The performance of the Domestic Industry deteriorated within the POI owing to a steep decline in import prices and an increase in import volume. In the event of cessation of ADD, there is likelihood of dumping and injury.

- ix. India continues to be number one destination of exports for China. There is significant increase in imports of the subject goods in India in absolute and relative terms. Imports continues to be made at dumped and injurious price. Chinese producers have excessive production capacities, which is way beyond their demand. Such increase in capacity will eventually be diverted to the Indian market once the duties ceases to exist. In addition to that Chinese producers are heavily export-oriented and some of the companies are set up only for the purpose of exports. China is not only exporting the subject goods at dumped and injurious prices in India, but are exporting to other countries at dumped and injurious prices.
- x. The present duties need to be extended and modification in the quantum is not warranted in the present circumstances.
- xi. ADD may be imposed only as fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty), expressed as duty in US\$/MT.

L.2. Submissions of other interested parties

112. The submissions of other interested parties on the Disclosure Statement are as follows:

- i. Imports from China under Non-Advance Authorization scheme are negligible. It may be seen that even if such imports are included for analysis of injury and likelihood of injury and ADD is recommended, the imports made under said duty free schemes would not be subject to any ADD and would continue to come to India.
- ii. The effect of competition among Domestic Industry need to be considered.
- iii. The effect of difference in Production Technology & Manufacturing Process needs to be considered.
- iv. The Authority is requested for Exporter & Domestic Industry's verification.
- v. There is difference in Specifications / Parameters with regard to residues after evaporation, Trans 1-2 Dichloroethylene & Stabilizer need to be investigated.
- vi. Drum packing is preferred in storage. It is easy to store Drums.
- vii. Chlorine is an important raw material. It is also used in manufacturing of Caustic Soda. When prices of Caustic Soda increase, prices of Methylene Chloride will decrease and vice versa.
- viii. The effect of shut down of the Domestic Industry in the POI needs to be considered.
- ix. An increase in supply by Domestic Industry needs to be investigated.
- x. With respect to the allegation of excessive confidentiality, Shandong explains that while filing Questionnaire Response they have followed all the guidelines with respect to the confidentiality as issued by the DGTR in the Trade Notice 10/2018.
- xi. The Applicant has kept the evidence available in the public domain as confidential. The Authority is requested not to use "surrogate country" methodology in calculating the normal value for this case, regardless of whether treating China as a market economy country in line with the report on the "Fastener case" initiated by China PR against the EU recently released by the WTO Appellate Body. The normal value determination on the basis of exports by Chinese Taipei to other countries is not in accordance with the provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
- xii. The production and capacity utilization of the Domestic Industry increased throughout the injury period, while the domestic sales increased in line with increased in demand. Imports from other countries have also increased significantly during the POI as compared to the base year which might have caused injury to the Domestic Industry.
- xiii. The landed value of imports from China PR has increased far more than the increase in net sales realization of the Domestic Industry, which shows that import price is not having an impact on the price behaviour of the sales price of the Domestic Industry.
- xiv. Imports have not caused any price suppression and depression in the last four years.
- xv. The Applicant earned bumper profits during 2018-19 as compared to the POI. The overall performance of the Domestic Industry in terms of profitability, cash profits and return on investment deteriorated during the POI. The Authority further needs to examine the trend of quarterly profitability of the Domestic Industry within the POI.
- xvi. The performance of the Domestic Industry has improved over the injury period in respect of employment, wages and productivity.

- xvii. Before making an examination of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Domestic Industry must provide sufficient positive evidences on which the likelihood determination is to be based.
- xviii. The existing ADD has served the intended purpose.
- xix. The NIP determined by the Authority is highly inflated and is not based on real situation.
- xx. When the supporting producers have refused to provide the relevant information to the Authority in the current investigation, it is a sufficient ground for the termination of the current investigation.
- xxi. The determination of normal value for China on the basis of Para 7 without accepting the details of the Chinese companies in the current investigation will eventually make provisions of the Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol to nullity i.e. as if the provisions of Article 15(a) (ii) have never existed.
- xxii. With regard to the decision of Hon'ble CESTAT in Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India for determination of normal value on the basis of exports from Taiwan to India, the facts in that case and the current case are different and the decision of CESTAT laid down in that case cannot be squarely made applicable in this investigation as the decision rendered by the Hon'ble CESTAT in that case was a New Shipper Investigation and the current investigation is a sunset review investigation.
- xxiii. The cooperative exporters have provided the sufficient information in this investigation. Therefore, the dumping margin for them may please be determined on the basis of their information and it will indicate that there is no dumping margin and there is no likelihood of dumping in case the ADD is not extended in this case.

L.3 Examination by the Authority

- 113. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 114. With reference to imports under Advance Authorisation Scheme, the Authority notes that the imports made under advance licenses have the effect of benchmarking the prices in the domestic market, while they may not have an adverse effect on the volumes sold by the Domestic Industry. In certain situations, the domestic industry may even be catering to requirement of this segment by undertaking deemed export sales. Further, these are clearly indicative of the prices at which the material is likely to be imported in the absence of measures. An Advance license/authorization holder has a choice either to import the inputs on a duty-free basis or procure the same from indigenous sources by using the mechanism of Advance Release Order. Further, imports under advance license is a benchmark for the price at which goods can be imported by a consumer after payment of taxes and duties. It would not be appropriate to consider that imports made under advance license do not impact the prices of the Domestic Industry.
- 115. As regards the argument of competition between the domestic producers causing injury is concerned, it is noted that in a healthy market situation competition among the domestic producers cannot be ruled out. As noted under the relevant paragraph, the market share of the Indian producers as a whole increased till 2018-19 and declined thereafter in the POI. The market share of the subject country has declined till 2018-19 but increased again in the POI.
- 116. Regarding the existence of significant changes in the technology, the Authority reiterates that no evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry. There is no claim of cost difference due to difference in the cost of production. As mentioned in the relevant paragraph above, the Authority considers that the subject good produced by the Domestic Industry are "like article" to the subject good imported from the subject country. Further, the Authority notes that the difference in production technology or manufacturing process does not render the domestic product dislike article.
- 117. Regarding verification of data, the Authority notes that desk verification of data submitted by the domestic industry and exporters has been conducted.

118. Considering significant difference in packing costs, the Authority has determined separate normal values for loose and packed form of the PUC.
119. Regarding the prices of caustic soda, the Authority notes that the interested party has not brought forth any evidence regarding the effect of the same on the present determination. In any case, Authority has considered relevant facts prevailing during the injury period, including the POI.
120. As regards alleged difference in specifications/parameters, the Authority notes that there is no quantified claim either from the foreign producers or from the Indian consumers. Nor impact of alleged difference has been quantified by any interested party.
121. Regarding the supply by the Domestic Industry, the Authority notes that as already stated above, during the POI the domestic sales of the Domestic Industry declined.
122. The contention regarding confidentiality has been addressed in the relevant paragraph above.
123. The Authority has considered the contention regarding the calculation of normal value and reiterates its observation regarding considering prices from Chinese Taipei to India as normal value for subject goods from China PR, as explained in the relevant paragraph above.
124. As regards the submission of the interested parties that 22% returns on capital employed is not acceptable, the Authority notes that such is the consistent practice of the Authority in all previous investigations conducted. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

125. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.
126. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

N. CONCLUSION

127. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
 - a. There is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
 - b. Though the performance of the domestic industry has improved till 2018-19 from the base year, its performance has suffered deterioration within the POI, and thus, the domestic industry remains vulnerable due to dumping of the subject goods from the subject countries.
 - c. The information on record shows likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.

O. RECOMMENDATIONS

128. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested

parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the authority is of the view that imposition of Anti-Dumping is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

129. Under these circumstances, it is considered appropriate to recommend continuation of definitive anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subject country as per the dumping and injury margins calculated for the current investigation period, for a further period of 5 years from the date of its imposition. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margins of dumping and margins of injury so established, so as to remove the injury to the domestic industry, in the form and manner described in the table below. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive antidumping duty as modified, on all imports of the subject goods from the subject country as per column 7 in the duty table below, for a further period of five years.

DUTY TABLE

S. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Fluo-Silicon Materials Co., Ltd.	15.20	MT	US\$
2	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	China PR	Any country including China PR	Ningbo Juhua Chemical & Science Co., Ltd.	30.40	MT	US\$
3	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	China PR	Any country including China PR	Any combination other than the combinations specified above	89.94	MT	US\$
4	2903 12	Dichloromethane (Methylene Chloride)	Any country except China PR	China PR	Any	89.94	MT	US\$

130. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.

P. FURTHER PROCEDURE

131. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. and Designated Authority